GOVERNMENT BILLS - *Contd.*

I. The Waqf (Amendment) Bill, 2025
and
II. The Mussalman Wakf (Repeal) Bill, 2025

श्री सभापतिः श्री प्रफुल्ल पटेल।

श्री प्रफुल्ल पटेल (महाराष्ट्र)**:** सभापति महोदय, दोनों सदनों में दो दिनों से जो इतनी रोमांचक गतिविधियां चल रही हैं, उसमें राम गोपाल जी ने थोड़ा मौसम सुहावना करने का काम किया है।

श्री सभापतिः काफी किया है।

श्री प्रफुल्ल पटेलः चलिए अच्छा है, ऐसा हो तो बहुत ही खुशी की बात है। आज जयराम जी भी प्रसन्न दिख रहे हैं। डा. सिंघवी साहब बड़े वकील हैं, वे बहुत कुछ बोलकर गए, मगर अंत में मुझे समझ नहीं आया कि उसका सार क्या था। मैं भी कुछ सीखना चाहता था। शायद चिदम्बरम जी और कपिल सिब्बल साहब से बाद में सीख लेंगे।

श्री सभापतिः सभी अचंभित हैं और तभी साइलेंस था।

SHRI PRAFUL PATEL**:** Sir, I am not a legal luminary. इसलिए मुझे मालूम नहीं है। मुझे इतना मालूम है कि हमारे भारत का जो संविधान है, वह सर्वश्रेष्ठ है। उसको आजकल बहुत ज्यादा दिखाया जा रहा है और जेब से निकाला जा रहा है। मेरे लिए तो वह गीता भी है, कुरान भी है, गुरु ग्रंथ साहब भी है और बाइबल भी है। उसी की शपथ लेकर आप भी बैठे हैं और हम सभी संसद सदस्य भी बैठे हैं। इसलिए उसके बारे में हम लोगों को इतना ही समझना और महसूस करना चाहिए कि हम यहां बैठे हैं और कानून बनाते हैं। जब हम ही कानून बनाने वाले हैं और संविधान में जो व्यवस्था है, उसमें न्यायपालिका तक जाने की व्यवस्था संविधान ने और संविधान निर्माताओं ने ही बनाकर दी है।

7.00 P.M.

मैं समझता हूँ कि कल से हमारे Parliamentary Affairs और Minority Affairs Minister साहब यह कहना चाह रहे हैं कि हम जो भी कर रहे हैं, जो भी कानून ला रहे हैं, उस कानून से अगर किन्हीं को कोई पीड़ा हो, कोई तकलीफ हो, तो वे न्यायपालिका तक पहुँच सकते हैं। वही भारत का संविधान, जिसे लेकर यहाँ पर सभी लोग दिखाने की और बात करने की कोशिश कर रहे हैं, उस संविधान का सम्मान करते हुए हमारा एक लक्ष्य होना चाहिए कि हम अच्छे कानून बनाएँ। अभी सिंघवी साहब कह कर गए कि यह कानून भी गैर संवैधानिक है और कभी न कभी कोर्ट इसको

strike down करेगा। फिर तो हम लोगों को कानून बनाने ही नहीं चाहिए, फिर कोर्ट्स को ही कानून बनाने चाहिए और हमें उनको लागू करना चाहिए। ऐसी संहिता कभी नहीं चल सकती।

सर, हमारे कुछ लोग मजहब के बारे में बोल रहे थे कि मजहब से खिलवाड़ हो रहा है। मजहब से खिलवाड़ तो 1947 में हो चुका, जो भी होना था। आज मजहब के नाम पर जो मुल्क बना, उसकी हालत देखिए, वह किस दलदल में फँसा है और आज हमारा भारत, जो हमारा secular, democratic भारत है, वह आज कितनी ऊँचाइयों तक पहुँच गया है! विश्व में पाँचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है, आगे जाकर तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगी। यह हमारा भारत है और वक्फ उसी का हिस्सा है मेरे भाई, उसमें कोई टोका-टोकी मत करिए। मेरा यह कहना है कि सबको आगे बढ़ना होगा और आगे बढ़ाने के लिए प्रधान मंत्री जी भी वही कहते हैं - 'सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास'। देखिए, कोई यहाँ बैठा है, तो कभी आप भी बैठे थे, जिसके हिस्सेदार हम भी थे। इसी संविधान के तहत चुनाव हुए, चुनाव में जीते, लोगों का विश्वास मिला, तभी तो हम यहाँ पर बैठे हैं। इसीलिए ये सब फिजूल की बातें करने का मतलब नहीं है। आपने तो बहुत shortcuts ले लिए हैं। हमारे मित्र, जो यहाँ से अभी बोल कर गए, उनके नेता कहते थे कि अगर बाबरी मस्जिद किसी ने गिराई है, तो मेरे शिव सैनिकों ने गिराई है। मुम्बई में जब मुसलमानों का बड़ा नरसंहार हुआ, दंगे हुए, तो किसने किए और किसने कराए! आज आपको सोचना चाहिए कि आप किसके साथ बैठे हैं! ...(**व्यवधान**)... सत्ता लेने के लिए, ...(**व्यवधान**)... सत्ता चाहिए थी, इसलिए आपने भी उनके साथ हाथ मिला लिया, ...(**व्यवधान**)... तब आपको भारत का संविधान का, तब भारत के हमारे मुसलमान भाइयों का, गरीबों का विचार नहीं आया, अब आपको याद आ रहा है! इसीलिए ...(**व्यवधान**)... वह सब ठीक है। ...(**व्यवधान**)... तब आप उस पार्टी में थी। तब आपको इतिहास मालूम नहीं है। आपको मालूम नहीं है और आप उस पार्टी की spokesperson थीं। ...(**व्यवधान**)...

SHRIMATI PRIYANKA CHATURVEDI (Maharashtra): Sir, I have a serious objection. ...(Interruptions)...

MR. CHAIRMAN: Shrimati Priyanka Chaturvedi, don't get agitated. ...(Interruptions)... Nothing else will go on record except what Shri Praful Patel says.

श्री प्रफुल्ल पटेल: आप इसको expunge कराइए। देखिए, she has to be more loyal than the king. दिखाना पड़ेगा। ...(**व्यवधान**)... मुझे कोई जरूरत नहीं है। हम हमारी जमीन समझते हैं और हमारी जितनी औकात है, जितनी हमारी जमीन है, उसके हिसाब से ही हम चलते हैं।

सर, हमारे देश में जब हम मजहब की बात करते हैं, तो naturally जज्बात बहुत उमड़ कर, उठ कर आते हैं। होता भी है। हमारे देश, हमारे मुल्क को 1947 से अभी 78 वर्ष ही हुए हैं। किसी भी इतिहास की बात होती है। अभी जब हम वक्फ की बात करते हैं, तो यहाँ जमीनों का ब्यौरा दिया गया कि कितनी वक्फ की प्रॉपर्टीज़ थीं, कितनी एकड़ जमीन थी, आज कितनी एकड़ जमीन है। आप लोगों को भी मालूम है कि यह सब इतिहास का जो एक पन्ना था, उसका यह पार्ट है। वक्फ में इतनी सारी प्रॉपर्टीज़ और जमीनें उस जमाने की गईं, जब हमारा देश आजाद नहीं था

और आजादी के बाद का जो नया दौर था, यह उसका एक हिस्सा है। आज जब हमारा देश एक आधुनिक युग में पहुँच चुका है, digitization हो गया है, नई land records बन रही हैं, तो आगे जाकर ये सब विवाद और ये सब विषय आने वाले नहीं हैं। आप पुरानी बातों को लेकर, मतलब उनको ही घुमा-घुमा कर, घोंट-घोंट कर, बार-बार लोगों के सामने पेश करते हैं कि मजहब के खिलाफ में यह बात हो रही है। इसमें मजहब की बात जरूर होनी चाहिए, लेकिन मजहब का कौन सा पन्ना ऐसा है, जिसमें आपको आपत्ति है, यह मुझे ज़रा अभी तक समझ में नहीं आया।

मैंने कल गृह मंत्री जी का भाषण सुना, हमारे माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर साहब का भाषण कल भी टीवी पर सुना और आज भी यहां पर उन्होंने विस्तृत चर्चा की, अभी नड्डा जी का यहां इतना विस्तृत भाषण हुआ और हमारे पूर्व प्रधान मंत्री जी भी कुछ बोले। इन सब भाषणों के बाद, मुझे यह समझना है कि ऐसा कौन सा पहलू है, आज हम लोगों को कौन से ऐसे मामले से आपत्ति हो रही है कि जिससे हमारे किसी भी मुसलमान भाई-बहन का आगे नुकसान होने वाला है। अगर यह बात कोई समझा सके, तो निश्चित रूप से हम भी इस बारे में एक बार नहीं, 100 बार सोचने के लिए तैयार हैं।

दिग्विजय जी, आपको मैं बताना चाहता हूं कि हम आज एनडीए का एक हिस्सा हैं। महाराष्ट्र में लेजिस्लेटिव काउंसिल में अगर कोई एक मुसलमान व्यक्ति गया है, तो वह हमारी पार्टी से गया है और वहां पर अगर कोई ऐसा मंत्री है, तो हमारे पार्टी से मंत्री है। मैं यह भी आपको बताता हूं कि आप लोगों ने मुसलमानों को विधान सभा की 10 परसेंट टिकटें कभी नहीं दी होंगी, लेकिन हमारी पार्टी ने दीं। इसका मतलब यह नहीं है कि हम लोग कोई अलग धर्म या मजहब के हिसाब से बात कर रहे हैं, मैं केवल आपको यह कहना चाहता हूँ कि प्रधान मंत्री जी की भी मंशा सभी को लेकर चलने की है। वे परसों नागपुर गए। आप लोग नागपुर-नागपुर करते हैं, वे जहां कहीं भी गए होंगे, लेकिन साथ-साथ डा. बाबा साहेब अंबेडकर जी की दीक्षा भूमि पर भी वे गए थे। आप इस बात को क्यों नजरअंदाज करते हैं? आपको जो पसंद आएगा, वही बोलेंगे! मैंने टीवी पर आप लोगों के, कई अलग-अलग लोगों के वक्तव्य देखे। चेयरमैन साहब, कि वे यहां गए, वहां गए, सरसंघचालक के वहां हेड क्वार्टर में गए, इनको नमन किया, उनको नमन किया, उन्होंने जरूर नमन किया, लेकिन उन्होंने भारत के संविधान के निर्माता और इस देश के करोड़ों-करोड़ गरीब, वंचित, दलित लोगों की आस्था के प्रतीक, डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर के सामने भी नतमस्तक हुए। यही तो भारत का संविधान कहता है। सभी तो वही कह रहे हैं। इसीलिए आज मुझे अभी तक समझ में नहीं आता है कि किस प्रकार की एक संकुचित सोच को लेकर हम चलते हैं! आज हमारे नड्डा जी ने यहां पर पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, टर्की और अनेक देशों के उदाहरण दिए। वे लोग अपने आप को समय के अनुसार चलाने की कोशिश करते हैं और हम जान-बूझकर एक समुदाय को बार-बार नीचा दिखाने की या समाज में उनके प्रति एक अलग तरह की सोच बनाने की क्यों कोशिश कर रहे हैं? हम लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए। इसीलिए आप लोग इस तरह से मजहब- देखिए, हमारे देश में सबसे बड़ी समस्या आज तक जो रही है, वह मजहब से भी ज्यादा बड़ी है। हमारे यहां पर हजारों वर्षों से एक जातीय व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था चलती आई है। वह हजारों साल से है। उस व्यवस्था को दूर करने का काम सबसे ज्यादा महत्त्वपूर्ण था। हमारे देश में अगर कोई सबसे ज्यादा बड़ी बीमारी थी, तो वह जातीय व्यवस्था की थी, लेकिन उसको दूर किया गया।

साहब, मंडल आयोग आया, मंडल आयोग की सिफारिश इनके टाइम में बहुत वर्षों तक पड़ी थी। आप विश्वनाथ प्रताप सिंह जी की जिस सरकार में थे, उसमें मंडल आयोग की सिफारिश को स्वीकार करके, आज इस देश के करोड़ों-करोड़ लोगों को, ओबीसी को और गरीब जनता को न्याय देने का काम हुआ। आप उसकी बात क्यों नहीं करते हैं? सिर्फ एक ही बात करना, मजहब की बात करते रहना, यह बात ठीक नहीं होती है। सर, इससे समाज में बंटवारा नहीं होना चाहिए। यह मैं इनसे भी गुजारिश करता हूं। हमारे यहां पर ऐसे लोगों ने, जो इस प्रकार से इन लोगों के साथ बैठकर, हाथ मिलाकर, सरकारें बनायीं, मगर जो उनके अंदर की जो सोच है, यहां की सोच है, वह बदली नहीं है। उनके साथ उनके मामले में भी सावधान रहें। ...(**व्यवधान**)... वे उनके मामले में सावधान रहें। हमें उसकी कोई चिंता नहीं है। आप अपनी सोच बनाए रखिए, लेकिन सावधान भी रहिए। सर, हमारे दोस्त आ गए। ...(**व्यवधान**)... [&] "बालासाहेब, मैं आपको नमन करता हूं। उन्होंने हम सभी को बताया कि मेरे शिवसैनिकों ने बाबरी मस्जिद को ध्वस्त कर दिया। क्या आपने यह नहीं कहा? धन्यवाद हो, आपको भी धन्यवाद हो। हम कुछ भी नहीं। सर, आपको धन्यवाद इसलिए कि आपने मुझे बोलने दिया, मगर इनको धन्यवाद"...(**व्यवधान**)... आप कह रहे थे कि मेरे शिवसैनिकों ने 1992-93 के मुंबई दंगों के दौरान हिंदू भाइयों की रक्षा की थी। क्या यह सही है या नहीं? धन्य हो, आप भी धन्य हो। ...(**व्यवधान**)... [&] "नहीं, नहीं, हमें चिंता करने की कोई बात नहीं है। संजय भैया, आप रंग मत बदलना।" आपको जो बोलना है, आप बोलो। आप अभी ऐसा क्यों कर रहे हैं? सर, आज पहली बार हमारे संजय भैया का भाषण नरोवा कुंजरोवा था। कभी तो वे बिल्कुल टक-टक-टक बोलते हैं, लेकिन आज क्या बोलूँ और क्या नहीं बोलूँ - यह उनको समझ में नहीं आ रहा था। देखिए, अभी भी एकदम ऐसे-ऐसे ही कर रहे हैं। ...(**व्यवधान**)... सर, मेरा इतना ही कहना है कि भारत धर्मनिरपेक्ष देश है, रहेगा और हम सब लोगों की जिम्मेदारी है कि भारत के संविधान के तहत भारत को एक Secular, Democratic Republic बनाए रखें और देश के हर एक नागरिक के लिए प्रधान मंत्री जी जो काम कर रहे हैं, उसमें हम सहयोग करें। ...(**समय की घंटी**)...

श्री जयराम रमेश (कर्नाटक): सर, आप चुपचाप मजे ले रहे थे।

श्री सभापतिः आपकी बात में काफी दम है। मजा चुपचाप कभी नहीं लेना चाहिए। Now, Shri Kapil Sibal.

SHRI KAPIL SIBAL (Uttar Pradesh): Mr. Chairman, Sir, I rise to oppose the Bill and thank you for this opportunity to participate in this debate. मैं थोड़े संक्षेप में कुछ मुद्दे उठाना चाहता हूँ। मैं कोई विवादित बात नहीं करूँगा। समझ लीजिए कि मेरे पास कुछ संपत्ति है, मेरी प्रॉपर्टी है, मैं हिंदू हूँ या मुसलमान हूँ या ईसाई हूँ या सिख हूं, उसको चैरिटी में देना चाहता हूँ, तो कौन उसको रोक सकता है? कोई नहीं रोक सकता। और इतिहास में, मैं यह बात आपके सामने रखना चाहता हूँ कि there was a right of non-Muslims also to make a Waqf और

[&] English translation of the original speech delivered in Marathi.

1954 में एवं 1995 में जो प्रावधान लाये गये, उनमें यह लिखा गया कि केवल मुसलमानों को वक्फ बना सकते हैं, कोई और नहीं बना सकता है, प्रॉपर्टी नहीं दे सकता। 2013 में जो संशोधन लाया गया, उसमें यह जो रोक थी, वह खत्म हो गई। अब यह जो 2024 का अभी कानून बना है, उसमें वापस यह कहा गया कि केवल मुसलमान ही वक्फ दे सकते हैं। ...(**व्यवधान**)... मैं केवल छोटी-सी बात रखना चाहता हूँ। As far as the 17th Century is concerned, I will give you a Judgement of the Madras High Court which observed, "It was common for the Hindu Zamindars to have Muslims in their territories to make Muslim endowments.' Similarly, in Arur Singh vs. Badar Din, the Lahore High Court upheld the right of a Hindu to make a waqf of his property for a Muslim graveyard. After Independence, Nagpur High Court upheld the right of a non-Muslim to create Waqf. हमारे प्रधान मंत्री जी, इनकी मैं बड़ी इज्जत करता हूँ, वे हमेशा कहते हैं 'वन नेशन, वन लॉ', तो अगर 'वन नेशन, वन लॉ' होना है, तो बताइए कि यह कहना कि केवल मुसलमान ही वक्फ दे सकते हैं - यह किस किस्म का लॉ है? यह भी कहना कि मुसलमान पहले 5 साल मुसलमान बने, फिर यह तय करना होगा कि वह वक्फ दे सकते है कि नहीं। अरे, प्रॉपर्टी मेरी, मालकियत मेरी, चैरिटी में मैं देना चाहता हूँ, आप कहने वाले कौन होते हैं कि नहीं दे सकते? यह कौन-सा कानून है? यह छोटी-सी बात है, यह कौन-सा कानून है? मैं हिंदू हूँ और हिंदू होकर भी मैं दे सकता हूँ। यह तो मेरी मर्जी है न? प्रॉपर्टी तो मेरी है, आपका तो कोई हक नहीं। पहली बात तो यह कि आपने यह प्रावधान क्यों रखा? अगर आप 'One Nation, One Law' की बात करते हैं, तो आप सारे धर्मों पर यह लागू कीजिए, कोई भी दे सकता है। यह पहली बात है। दूसरी बात, जो नड्डा साहब ने बहुत अच्छी कही, वह यह है कि देखिए, कितनी एकड़ प्रॉपर्टी *auqaf* की है, वक्फ की है। मैं उनको बताना चाहता हूँ कि there are 32 Waqf Boards in this country in different States, which merely supervises administration of waqf properties in their respective States, but नड्डा जी, प्लीज़ यह नोट कर लीजिए कि total area of Hindu religious institutions. In Tamil Nadu, Andhra Pradesh and Telangana, respectively, it is 47,0000 acres in Tamil Nadu; 4,65,000 acres in Andhra Pradesh; 87,000 acres in Telangana and 723 acres with Tirumala Tirupati Devasthanams. Thus it comes to 10 lakh acres only in four States and आप कहते हैं कि देखिए, *auqaf* में आठ लाख एकड़ है। आपके हिंदू temples में भी इतनी संपत्ति है, वहां आप क्या कर रहे हैं? आप बाकी स्टेट्स में भी देखिए। क्या हर धर्म में सुधार नहीं होना चाहिए? सुधार होना चाहिए, मैं आपके साथ सहमत हूँ। हिंदू धर्म में भी सुधार लाना चाहिए। Under Hindu *dharma ...(Interruptions)...* एक मिनट। ...(**व्यवधान**)... मैंने आज तक किसी को नहीं टोका। मैं आपके सामने सिर्फ छोटी सी बात रख रहा हूँ। हिंदू धर्म में भी सुधार होना चाहिए। अब हिंदू धर्म के अंतर्गत अगर कोई self-acquired property हो, तो वह अपने बेटों को दे सकता है, पर बेटी को नहीं दे सकता। वह कहता है कि मैं अपनी बेटी को नहीं दूँगा। इस्लाम में भी यह है कि भाई को ज्यादा मिलेगा और बेटी को कम मिलेगा। यह इस्लाम में भी है। वहां वक्फ के द्वारा सुधार हो सकता है, यहां कोई सुधार नहीं हो सकता। अगर आप महिलाओं की बात करते हैं, तो एक कानून लाइये कि Hindu law में कोई अपनी self-acquired property केवल बेटों को नहीं दे सकता, वहां महिलाओं का हक़ होना चाहिए। ...(**व्यवधान**)... आप हमें यह आश्वासन दो। You

make a commitment in this House that you will bring a law which will protect the rights of daughters when one wants to give away one's self-acquired property. यह दूसरी बात है, जो मैं आपके सामने रखना चाहता था।

अब मैं आपके सामने तीसरी बात रखना चाहता हूँ। आपने कहा और यह बात आपको वैसे भी जाननी चाहिए, मालूम नहीं, यह बात आपको बताई गयी है या नहीं, लेकिन यह जो बोर्ड है, यह statutory Board है, पहले भी था। इसमें कोई nominate नहीं होता था। मैं आपको बताता हूँ कि वह कैसा statutory Board था। Most nominees were of the Government. पहले भी MPs were there, judges of Supreme Court, High Courts, civil servants were there. And the Chief Executive Officer of the Board is a civil servant. The Government can give directives to the Board and even supersede it. Tribunal members are nominated by the Government. यह पहले की स्थिति थी। अगर उसमें सरकारी नियुक्ति थी, तो फिर गलत काम कौन कर रहा था? आपने उसको क्यों supersede किया? आपने Sub-nominee क्यों रखवा लिए? पहले भी तो वह statutory Board था, तो आप यह प्रावधान क्यों लाए? अगर कोई गलती हो रही थी, तो मुतवल्ली से हो रही थी। तब होता यह था कि मुतवल्ली किसी वक्फ में डील कर लेता था और उसकी वजह से यह mis-management होती थी। आपको उस वक्त ठीक करना चाहिए था, हम भी आपके साथ हैं। मुझे याद है, पहली बार and I think it was in 1954 कि तमिलनाडु के एक ब्राह्मण ने यह कहा कि हमारे यहां मंदिरों में बड़ी गड़बड़ हो रही है और उसकी वजह से 1954 एक्ट बना, तो गड़बड़ तो सब जगह होगी। आपकी सरकार में भी बड़ी गड़बड़ हो रही है। वह भी हो रही है। वह ठीक है, गड़बड़ तो होती है। गड़बड़ तो होती है। अब आपने क्या किया? यह बड़ी interesting बात है। आपने क्या किया? आपने कहा कि ...(**समय की घंटी**)... सर, देखिए, आपने सबको 15-15, 20-20 मिनट्स दिए हैं। मैं ज्यादा नहीं मांगता, मुझे 10 मिनट दे दीजिए। सर, थोड़ा-सा। हम मुद्दे की बात कर रहे हैं, हम कोई पोलिटिक्स की बात नहीं कर रहे हैं। नड्डा जी ने कहा कि यहां कोई पोलिटिक्स की बात नहीं हो रही है, क्योंकि यह देश के भविष्य का सवाल है।

Therefore, the other thing I want to say पहले यह होता था कि वक्फ प्रॉपर्टी पर encroachments होती थी, unauthorized encroachments होती थी, लोगों की unauthorized encroachments होती थी और सरकार भी इस पर कब्ज़ा कर लेती थी। इसलिए जो Limitation provision प्रोविजन लाया गया, उसमें यह रखा गया कि जो 12 साल का Limitation Ordinary Law में है, वह नहीं है, किसी ने गलत तरीके से Waqf property पर कब्ज़ा कर लिया, तो अगर लिमिटेशन की बात आएगी, तो वह 12 साल के बाद challenge नहीं कर सकता। आप वह Limitation वापस ले आए, मतलब कि उनका unauthorized कब्ज़ा कायम रहेगा। आप तो encroachments का साथ दे रहे हैं, encroachers का साथ दे रहे हैं। मतलब कि वक्फ प्रॉपर्टी पर जो गलत कब्ज़ा हुआ है, वह कब्ज़ा वैसा ही रहेगा, क्योंकि 12 साल बीत जाएंगे। आप यह किस किस्म का प्रावधान लाए हैं? आप वक्फ प्रॉपर्टी को protect कर रहे हो या encroachments को protect कर रहे हो। फिर साथ ही आपने यह कह दिया कि District Magistrate has the full power to decide as to whether it is a Waqf property or not. This is what you have said. Now, what inquiry will the District Magistrate have in that case? He will decide

on his own and his decision is final! You were talking about Article 21 of the Constitution and said कि Waqf Council का decision कैसे final हो सकता है, वक्फ बोर्ड का decision कैसे final हो सकता है। यह तो challenge ही नहीं हो सकता in a Civil Court. Which decision of the District Magistrate will be challenged in the Civil Court? You have said in this law that the decision of the District Magistrate will be final. And, when he decides that this property is not a Waqf property, that cannot be challenged till he gives the final decision. So, you can't deal with that property. You give finality to it. आपने बात रखी है कि ये जो endowments हैं, यह जो Waqf है, इसकी जो tribunal की decision है, वह final रहती है। यह आपने कहा है। अगर tribunal का decision final रहता है, तो civil court को तो कोई हक नहीं है, उसको challenge करने के लिए। यही बात Hindu Endowments Act में है ...(*Time-bell rings*)... Hindu Endowments Act में जो उनका management है, उसका decision final है।

MR. CHAIRMAN: Thank you, Kapil*ji*.

श्री कपिल सिब्बल: अगर Hindu Endowments का decision final है, वहां तो आपको कोई आपत्ति नहीं है। यहां tribunal का decision final है, तो आपको आपत्ति है।

MR. CHAIRMAN: Thank you, Kapil*ji*.

SHRI KAPIL SIBAL: Sir, I will take just last one minute.

MR. CHAIRMAN: You have taken ten minutes.

SHRI KAPIL SIBAL: Sir, last minute. सर, 2014 के बाद ...(**व्यवधान**)...

श्री सभापति: किसका समय देना है ...(**व्यवधान**)... संजय जी, आपके पास तो बोलने का समय बचा ही नहीं है।

SHRI KAPIL SIBAL: Sir, just give me a minute. What the fact of the matter is, the problem is ...*(Interruptions)*...

MR. CHAIRMAN: One minute, Kapil*ji*. Hon. Parliamentary Affairs Minister wants to say something.

संसदीय कार्य मंत्री; तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्री (श्री किरेन रिजिजु): चेयरमैन सर, पिछली बार भी जब कपिल सिब्बल जी यहां बोले थे, तब मैंने कहा था कि senior MPs हमारे साथ बैठकर

debates, discussion में हिस्सा लेते हैं, तो हम लोगों को अच्छा लगता है, लेकिन problem यह है कि वे कई बातें यहां बोल कर चले जाते हैं, वे clarification नहीं सुनते हैं। उनके बोलने से पहले एक-दो लोग बोलते हैं, तब वे ज़रूर सुनते हैं, मगर उसके बाद वे कुछ ऐसा सवाल पूछ कर चले जाते हैं, लेकिन जवाब सुनने के लिए नहीं बैठते हैं, तो मैं यह कहना चाहता हूं कि रात को जब मैं जवाब दूंगा, तब वे तो यहां रहेंगे नहीं। ऐसी परिस्थिति में मुझे क्या करना चाहिए? सर, आप ही मुझे बताइए। यह तो बड़ी समस्या है। सर, उनके senior होने के नाते मैं उनकी सूझ-बूझ, समझ और intellect को तो मैं challenge नहीं कर सकता हूं, लेकिन जैसे वे confusing बात करके चले गए - उन्होंने चार स्टेट के religious land को वक्फ के साथ compare करके confusion पैदा करके चले गए। मैं बताना चाहता हूं कि वक्फ प्रॉपर्टी religious प्रॉपर्टी नहीं होती है, वक्फ प्रॉपर्टी अलग है, वह civil है। यहां वे गलत example देकर चले जाएंगे। फिर वे बोलते हैं कि मेरी ज़मीन, मेरी प्रॉपर्टी है, आप कौन होते हैं कानून बनाने वाले? ...(**व्यवधान**)... मैं इसीलिए बोल रहा हूं, क्योंकि वे अभी चले जाएंगे।

श्री सभापतिः डा. अभिषेक मनु सिंघवी चले गए हैं।

श्री किरेन रिजिजुः सर, अभिषेक मनु सिंघवी जी तो चले गए, अब मैं क्या करूं? उनको रोक नहीं सकते। ...(**व्यवधान**)...

श्री सभापतिः वे वापस आएंगे, क्योंकि Whip है, because of Whip, he will come back.

श्री किरेन रिजिजुः सर, जैसे कि उन्होंने कहा कि ज़मीन मेरी है, आप कौन होते हैं कानून बनाने वाले? जब कोई ट्रस्ट बनता है, तो उस ट्रस्ट को कौन चलाता है, उसकी निगरानी कौन करता है? उसकी निगरानी चैरिटी कमिश्नर करता है। आप बोलेंगे कि मैं हिंदू ट्रस्टी हूं, तो चैरिटी कमिश्नर में मुस्लिम नहीं आ सकते हैं, Christians नहीं आ सकते हैं। क्या इस देश में ऐसा हो सकता है? देश कानून से चलता है। आप बोलते हैं कि मेरी मर्जी होगी। इसका मतलब यह है कि क्या मुसलमानों के लिए अलग मिनिस्ट्री बनानी है और हिंदुओं के लिए अलग मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट खोलना है। आप इतने सीनियर होते हुए कैसी बात कर रहे हैं। देश में अगर सबके लिए एक कानून चलेगा, तो यह देश के लिए अच्छा होगा। मैं डिटेल में जवाब दे सकता हूं, लेकिन यह मेरे रिप्लाई का टाइम नहीं है। आप चले जाएंगे और बाद में रिप्लाई नहीं सुनेंगे और फिर वह अधूरा रह जाएगा, इसलिए मैं यह कह रहा हूं।

MR. CHAIRMAN: Now, hon. Finance Minister.

SHRI KAPIL SIBAL: Sir,...

MR. CHAIRMAN: I will come to you, Mr. Sibal. I will come to you. मैं भी बीच में एक बार बोलूंगा। Hon. Finance Minister.

THE MINISTER OF FINANCE; AND THE MINISTER OF CORPORATE AFFAIRS (SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN): Sir, I am very sympathetic to the Minority Affairs Minister. Every time, in finance-related matters, I also face this situation. When I stand up to answer earnestly with all the questions being posed to me, concerned Members are never there. At least, he has the courage to stand up and seek your permission to speak. But there are one or two points on which I want to just give some clarification. As the Minister of Minority Affairs says, we are talking to a senior, very senior legal luminary, so I will humbly submit my facts, if I heard him right. In Tamil Nadu or in Andhra and he also took the name of the Tirumala Tirupati Devasthanam, in all these, the HR and CE is with the Government. The Government-appointed people monitor it, they execute it and they run it. Second, for Tirumala Tirupati Devasthanam, the Executive Officer is appointed by the Government of Andhra Pradesh. The Endowment Board has people who are appointed by the Government of Andhra Pradesh and the entire system is completely under the Government of Andhra Pradesh. So it is not as if Hindus are not being touched at all, only Muslims are. No. In fact, it has led to a lot of feeling... that Hindu pilgrims have started feeling that only their temples are being completely controlled by the Government and the Government-appointed people. It is leading to a lot of confusion among the Hindu pilgrims also. It is a matter of concern for all religions. ...*(Interruptions)*.. I am responding to the hon. Member who spoke. Anybody who has a comment to make on what I have said is welcome to seek the time from the Chair rather than shout me down. Because he did refer to the Southern States, the Hindu temples, and also took the name of TTD, the fact is this, Sir.

MR. CHAIRMAN: Now, Kapil*ji*.

SHRI KAPIL SIBAL: Madam Finance Minister, what I said was that yes, you are right, the temples are being managed by the Government, so is the Waqf. That is precisely what I said. The statutory appointees are all by the Government. ...*(Interruptions)*... That is exactly the point that I was making, that if the statutory appointees were all in the Government, why did you want to bring this amendment in 2024? That is the point. And, to you, Sir, the answer is, you said that there are trusts. Yes, there are trusts. But you know under the Code of Civil Procedure, when there is a trust, the

property belongs to the trust. But there is a difference between auqaf and trust. As for Auqaf, the land once donated belongs to God.

MR. CHAIRMAN: Please round up.

SHRI KAPIL SIBAL: It does not belong to the trust. Sir, it belongs to God. You cannot sell it ever. A trust can sell property. Waqf property cannot be sold. And Waqf property can be donated for religious purposes. It can be donated for shelter homes. *…(Interruptions)..* Allow me to speak. Do not interrupt now. It can be given for schools, it can be given for graveyards, it can be given for the benefit of women, and once given it cannot be taken back, unlike trusts.

MR. CHAIRMAN: Thank you.

SHRI KAPIL SIBAL: Therefore, there is a difference.

MR. CHAIRMN: Okay.

SHRI KAPIL SIBAL: One last thing, only one. And, I will come in to vote against them, not to worry. And, I will listen to you. Now, one last thing, Sir. They say, we have abolished waqfs by user. That is what they have said.

MR. CHAIRMAN: Please conclude.

SHRI KAPIL SIBAL: Sir, there is a Supreme Court judgment that they rely upon, that is, the Babri Masjid judgement. The hon. Minority Affairs Minister should note. Paragraph 1134 of the Babri Masjid judgment, says waqfs by user is an accepted mode of creating a waqf.

MR. CHAIRMAN: Thank you.

SHRI KAPIL SIBAL: Please honour the judgment whose virtues you extol to the rest of the country. Honour that judgment. And it says, 'waqf by user' is a matter of evidence. And, in fact, 'waqf by user' is established pursuant to the Board, that is, the Board, statutory board, sending out special people who are assessors as to whether, in fact, this is an actual waqf or not.

MR. CHAIRMAN: Thank you, Kapilji.

SHRI KAPIL SIBAL: And these are specialists. Sir, he must know; he is the Minister. He must know the facts before he makes a statement...
MR. CHAIRMAN: Thank you.

SHRI KAPIL SIBAL: These are specialists. You have abolished the specialists. Now the district magistrate will decide, and what will happen?

MR. CHAIRMAN: Kapilji, you have made your point.

SHRI KAPIL SIBAL: No; but this is not fair, Sir. This is not fair.

MR. CHAIRMAN: Thank you.

SHRI KAPIL SIBAL: They interrupted without knowing what an actual waqf is. They have no knowledge of what a waqf is. He is comparing it with a trust. Waqf is not a trust at all. ...(Interruptions)...

MR. CHAIRMAN: Now, Shri Haris Beeran.

SHRI KAPIL SIBAL: Sir, just one minute. Last point. Only one minute; not more than one minute.

MR. CHAIRMAN: No, Kapilji. ...(Interruptions)... Kapilji, you have diverted yourself. ...(Interruptions)... No, you diverted. ...(Interruptions)... Kapilji, it can't...

SHRI KAPIL SIBAL: One minute, Sir.

MR. CHAIRMAN: Three minutes' time, I extended to ten minutes.

SHRI KAPIL SIBAL: You have given half-an-hour to other people when you were to give 10 minutes. Give me one minute. ...(Interruptions)...

MR. CHAIRMAN: Shri Haris Beeran; seven minutes. Shri Harish Beeran. ...(Interruptions)... Please. We have to proceed with the House. Thank you. ...(Interruptions)...

DR. FAUZIA KHAN (Maharashtra): Sir, I am on a point of order.

श्री सभापतिः कपिल जी, वैसे आपने आज मुझे एक ही झटका दिया है, लेकिन अभिषेक कई झटके देकर चले गए हैं। आपने एक कानूनी व्याख्या की कि सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी में बेटियों का, वूमेन का भी हक होना चाहिए, लेकिन सेल्फ-एक्वायर्ड प्रॉपर्टी किसी को भी दी जा सकती है। बेटे को दे दो, बेटी को दे दो, दोनों को मत दो, किसी और को दे दो - यही देश का कानून है। ...(**व्यवधान**)... Shri Haris Beeran, your time starts now. We will add one more minute which is over. Come on. Start. ...(Interruptions)...

DR. FAUZIA KHAN: Sir, I am on a point of order. ...(Interruptions)... Please allow me. ...(Interruptions)...

SHRI HARIS BEERAN (Kerala): Thank you, Mr. Chairman, Sir, for giving me this opportunity. ...(Interruptions)...On behalf of my Party, the Indian Union Muslim League, I stand here to oppose the Bill which is unconstitutional, which is against the principles of secularism, which is against the principles of federalism.

[MR. DEPUTY CHAIRMAN *in the Chair*.]

Now, Sir, we are debating the Waqf Bill. We have to know what the concept of Waqf is. Waqf is an Islamic concept. Now it is a permanent dedication to God. But it is your intention to dedicate which is paramount under the Islamic concept. That is why, the oral Waqf was recognized in law till now. Now, Sir, that has been deleted. The oral Waqf has been deleted. That means, you are legislating a law which is contrary to the Islamic concept of Waqf. Now that is the fundamental flaw in this particular legislation. This is against Articles 25 and 26 of the Constitution.

Now on 'waqf by users', several waqfs were created centuries ago. Clause 3, that is, Section 3, says that this is prospective. 'Waqf by user' is prospective. ...(Interruptions)... Now, Sir, the prospective thing has been ...(Interruptions)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please, please. श्री हारिस बीरान जी, आप बोलिए।

SHRI HARIS BEERAN: Sir, there have been a lot of riders. The rider is that there should not be any dispute. ...(Interruptions)...

श्री उपसभापतिः संजय जी, आप बैठ जाइए।...(**व्यवधान**)...

SHRI HARIS BEERAN: Sir, the House has to be in order. ...(Interruptions)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Yes, I am requesting all the Members to listen you. ...(Interruptions)... Please speak.

SHRI HARIS BEERAN: I can't hear. ...(Interruptions)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I am listening to your speech. You speak. ...(Interruptions)...

SHRI KAPIL SIBAL: Sir, I am on a point of order.

SHRI HARIS BEERAN: There is one point of order.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: No point of order. Please, you speak. ...(Interruptions)...

SHRI HARIS BEERAN: Sir, what I was saying was that Clause 3 of the Waqf Bill says that it has to be prospective, which is, 'Waqf by user', has to be prospective. But they are saying it with riders. The rider is that there should not be any dispute. Now, what is a 'dispute' is not defined under the Act. And if there is a dispute, what is the method for resolving that dispute? If the Government says that there is a dispute with regard to a property, the Government can go to a Government officer and the Government officer will decide whether there is a dispute or not. If he thinks that there is a dispute, that property will cease to be a waqf property.

That is how the legislation comes in. So, there is nothing for natural justice. There is no natural justice in this particular legislation. This is how the dispute resolution mechanism is there. Once that Government Officer decides on some dispute, there is no mechanism for appeal. So, this particular property will be frozen for all times to come. Now, there is an interesting part. The interesting part is that, for argument's sake, if we admit that 'yes', 'Waqf by User' is prospective and all the 'Waqf by User' properties will be protected, there is another clause, which is Clause 3(b), which says that list of details of the Waqf has to be given within six months. If the list of details of Waqf is not given within six months, the property ceases to be a Waqf property. So, there is a dichotomy. On the one hand, they are saying that 'Waqf by User' is prospective and that will be protected. On the other hand, they are saying

that in six months' time, if you do not give the list of documents, it will cease to be a Waqf property. So, I do not know how they are going to reconcile this dichotomy. All these properties, which are 'Waqf by User' properties, are going to go away in six months' time if they do not provide the documents. This is a very dangerous trend in this legislation. Now, there is another part. What is Waqf? Waqf is a dedication to *Allah*. So, who is to manage these properties which are dedicated to *Allah*? They are non-Muslims who will manage the properties which are dedicated to Allah. Now, in Waqf Council, twelve people will be in majority and seven people in Waqf Board will be in majority. This is a direct affront to Article 26 of the Constitution which says that you have the right to manage your own affairs. Now, what is this? Do the Muslims not have capacity or capability to manage their own affairs? Is it what the Government is trying to say? How much State control will be there in these religious matters and religious affairs? Is the Government going to allow these kinds of things in other religions? We have seen the other religious endowments. In other religious endowments, only that particular religion will be allowed. So, there is this direct affront to Article 14. Now, a lot of people have been saying about Munambam land issues. Hon. Nadda*ji* said about it. Kerala's legacy is secularism. My Party President, Syyed Sadiq Ali Shihab Thangal, in fact, convened the meeting of all Muslim organisations in Kerala after this particular problem cropped up and he has, in no unambiguous terms, said that no one will be and no one should be evicted from this Munambam land. That is the sentiment of whole of Kerala. Whole of Kerala stands with that. We do not need any outside protection. Yesterday, some Minister told in Lok Sabha that Modi*ji* is going to be the saviour of Munambam land and Munambam people. We do not need any saviour. We ourselves know how to save our people. We know how the people of Gujarat were saved in 2002. We all know that. We do not need that kind of a protection. We know how to protect ourselves. Now, there is a social and political agenda to it. Social agenda is to deprive the Muslim community of their educational institutions and lands which are there in work of property. The political agenda is that you create hatred and you create division among the community. We know what secularism is. 'Secularism' means live and let live. Here is a Government which do not let live the minority communities and the Other Backward Class communities in India. Now, as for the claim that they are actually for the minority communities, we know many attacks have been on the Christian community in the last one year. United Christian Forum has given a data that 740 churches were torched and damaged in the last one year itself. What is happening in Manipur? In Jabalpur, last week, 50 Christians were attacked thinking that they were going for conversion. These 50 Christians were attacked by VHP only last week. Now, what is

the policy which they are adopting? 'Divide and rule' is the policy which they are adopting. In conclusion, the Government and the BJP find it convenient to pitch minority communities against each other and reap potential benefit out of it. We are reminded of the story of the jackal who licked the drops of blood flowing from the heads of the fighting Gods. The moral of this story from *Panchatantra* is that one should resist greed. In Munambam, you are this greedy person. Here, we see political greed garbed in rabid communalism. This is something that will harm the ethos, social fabric and very fundamentals of this country. I strongly oppose this Bill, being unconstitutional, being against the principles of secularism and being against the principles of federalism. Thank you.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, Shri Brij Lal. You have fifteen minutes. ...(Interruptions)... Please take your seat. She has already spoken.

श्री बृज लाल (उत्तर प्रदेश): उपसभापति महोदय, आपका धन्यवाद कि आपने मुझे Unified Waqf Management Empowerment (Efficiency and Development) Act पर बोलने का अवसर दिया। ...(**व्यवधान**)...

SHRI KAPIL SIBAL: Sir, I have a point of order.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please sit down. ...(**व्यवधान**)... बैठ जाइए। माननीय सदस्य बोल चुके हैं। माननीय चेयरमैन ने allow नहीं किया, मैं allow नहीं करूँगा, प्लीज़। ...(**व्यवधान**)...

श्री बृज लाल: उपसभापति महोदय, यह बिल सबको न्याय देने वाला है, जो निष्पक्ष है और पारदर्शी है। ...(**व्यवधान**)... यह गरीब मुसलमानों, पसमांदा मुसलमानों, महिलाओं और बच्चों को न्याय देगा, उनकी सहभागिता सुनिश्चित करेगा। यह निश्चित तौर पर सबके लिए निश्चित उम्मीद है कि यह जो नया एक्ट बन रहा है, इसके कारण अब किसी की जमीन नहीं छीनी जाएगी।

सभापति महोदय, एक तरफ यूपीए गवर्नमेंट में 1991 में एक एक्ट बना था - Religious Places Act. इसमें यह कहा गया कि 1947 में जो स्थिति है, अगर मंदिर तोड़ दिया गया, कुछ बन गया, तो आप reclaim नहीं कर सकते और श्रीमन्, एक तरफ 1995 में जो वक्फ एक्ट बना, उसमें कहा गया कि वह जिसकी भी चाहे, अगर उसको समझ में आ रहा है कि वह वक्फ की property है, तो वह उसकी जाँच करा सकता है, उसको ले सकता है। सभापति महोदय, यह कैसा अधिनियम है! इनको कितनी शक्तियाँ दी गईं! इनके लिए कहा गया, ट्रिब्यूनल भी इनका होगा, लोग भी इनके होंगे, फैसला भी इनका होगा और मनमानी भी इनकी होगी। श्रीमन्, यह था 1995 का एक्ट! सभापति महोदय, यह यूपीए सरकार की, जिसमें हमारे भाई लोग शामिल हैं, जो उस साइड में बैठे हैं, इन्हीं की दरियादिली रही, तुष्टीकरण, जिसके कारण 2006 में जो 4 लाख वक्फ

संपत्तियाँ थीं, वे 2024 में 8.72 लाख संपत्तियाँ हो गईं। उसका जो पैसा मिलता, जो सच्चर साहब ने कहा था, 193 करोड़, वह 193 करोड़ से केवल 3 करोड़ बढ़ा।

सभापति महोदय, अब मैं इस बात पर आता हूँ कि यह जो वक्फ अब तक है, आज मौजूद है, इस पर केवल मुसलमानों के अभिजात वर्ग का आधिपत्य है। इसमें कौन हैं - शेख, सैयद, पठान, सिद्दीकी, मिर्जा आदि। श्रीमन्, इसमें गरीब मुसलमानों का, पसमांदा मुसलमानों का कोई रोल नहीं रहा। केवल ये ही लोग इसको enjoy करते रहे, इन्हीं का आधिपत्य रहा। महोदय, अब मोदी जी की सरकार में यह जो अधिनियम आ रहा है, तो हमारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का एक रूल है, वह है - अंत्योदय। जो समाज की सबसे अंतिम सीढ़ी पर बैठा है, उसका अंत्योदय हमारा लक्ष्य है और उसको भाजपा सरकार ने करके दिखाया है। श्रीमन्, जितनी योजनाएँ हैं, वे गरीब-centric हैं, poor-centric हैं। चाहे वह किसी धर्म का हो, किसी समाज का हो, कोई यह नहीं पूछता कि जिसको मकान मिला, कौन है; जिसको शौचालय मिला, कौन है; 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को अनाज मिल रहा है, वे कौन हैं। महोदय, अब यह जो अधिनियम आ रहा है, इसमें इन लोगों को न्याय मिलेगा - भटियारा, फकीर, डफाली, हलालखोर, लाल बेगी, मुस्लिम बंजारा, धोबी, नाई, मुस्लिम जोगी, रंगरेज, मोची, भिश्ती, मुकेरी। इनको न्याय मिलेगा, जिनको इन्होंने किनारे कर दिया था। महोदय, ये वे लोग हैं, जो कभी convert हुए थे और ये दलित थे। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने कहा था, - ये लोग अक्सर उनका नाम लेते हैं - उन्होंने कहा था कि ये जो दलित convert हुए हैं या लोभ-लालच से convert हुए हैं, ये केवल इनकी संख्या बढ़ाएँगे, लेकिन इनकी हालत बद से बदतर होगी। श्रीमन्, यह जो वक्फ एक्ट था, इसमें इन जातियों की स्थिति बद से बदतर हुई और अब यह जो अधिनियम बना है, अब इन लोगों को न्याय मिलेगा और इनको बाबा साहेब की याद जरूर आएगी, जो उन्होंने कहा था कि इन्होंने केवल यह संख्या बढ़ा दी है। इन संख्या बढ़ाने वालों को आज मोदी सरकार में न्याय मिल पाएगा।

सभापति महोदय, अब इसमें इनकी सहभागिता सुनिश्चित होगी और न्याय मिलेगा। अब मैं आता हूँ - Waqf Act, 1995 के Section 40 पर आता हूँ। यह क्या है? Section 40 of the Waqf Act, 1995 is a unique provision, which authorizes the Waqf Board to make an enquiry in respect of any land to find out as to whether the property is a Waqf property or not. In case the Waqf Board has the reason to believe that property of the Trust or the Society is Waqf property, it may call upon the Trust or the Society to show cause as to why such property be not registered as Waqf property. The decision of the Waqf is final subject to any order passed by Waqf Tribunal. सभापति महोदय, इसमें यह कहा गया। जमीन के जो मामले होते हैं, उसमें custodian कौन होता है -डिस्ट्रिक मजिस्टेट। He is the custodian of land. उसका पूरा paraphernalia है - लेखपाल से लेकर कानूनगो, तहसीलदार, एडीएम, एसडीएम और कलेक्टर खुद। यहां जब मैं जेपीसी के मेंबर रहे, तो अपोजिशन पार्टीज़ के हमारे तमाम मित्र यही कहते थे कि नहीं साहब, कलेक्टर क्यों होगा? How can he be a judge in his own case? जैसे पूरे जिले की जो जमीन है, कलेक्टर की पर्सनल प्रॉपर्टी है, वह उसका मालिक है। अगर यह कह सकते हैं, तो यह भी कह सकते हैं कि साहब, फलां स्टेट का मुख्य मंत्री, फलां पार्टी का है, तो इसमें वह कैसे हो सकता है? वह जो न्याय देगा, वह उनको स्वीकार नहीं होगा। महोदय, डेमोक्रेसी ऐसे नहीं चलती है। इस पर भी इन्होंने कलेक्टर की बात कही। यहां भी

यह बात आई। हालांकि अब उसमें कलेक्टर की जगह Designated officer कर दिया गया है और उस Designated officer का रैंक कलेक्टर से ऊपर होगा। लेकिन ये कुतर्क बहुत चला और यहां भी चल रहा है।

सभापति महोदय, अब मैंने जो इसका सेक्शन 40 पढ़ा, इसके बारे में काफी कहा जा चुका है, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि इसके तहत किस तरह से तमाम संपत्तियों पर कब्जा किया गया। तमिलनाडु का जो मामला 2022 का है, अभी मैं उसको दोहराना नहीं चाहूँगा। उसमें विलेज था – तिरुचेथई और डिस्ट्रिक्ट था- तिरुचिरापल्ली। इसके बारे में काफी कहा जा चुका है, तो इसमें मुझे आगे नहीं कहना है। इसके अलावा हरियाणा का एक मामला है। हरियाणा के ग्राम जठलाना में वर्ष 2022 में यहां की वक्फ बोर्ड ने काफी जमीनों पर दावा ठोक दिया। महोदय, वहां एक पुराना गुरुद्वारा है, उसकी तमाम संपत्तियां हैं। वहां पहले कोई मुस्लिम सेटलमेंट नहीं था, लेकिन वक्फ बोर्ड ने कहा कि नहीं साहब, यह तो हमारी संपत्ति है। इस प्रकार हरियाणा में उसको हड़पने का प्रयास किया गया। अब सूरत के मामले पर आना चाहता हूँ। महोदय, 2021 में वक्फ बोर्ड ने कहा कि सूरत म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की जो संपत्ति है, वह वक्फ की है। कहा गया कि 400 साल पहले उसे शाहजहां ने वक्फ किया था और उन्होंने अपनी बेटी जहां आरा को दे दिया था। वहां पर उनके खास भी थे। बताया गया कि एक फर्जी डॉक्यूमेंट बनाया गया और कहा गया उनके शाहजहां के खास इशाक बेग यजदी उर्फ हकीकत खान ने इसको वर्ष 1644 में 33,081 रुपये में बनाया। उन्होंने कैलकुलेट भी कर लिया कि यह सब कैसे हुआ। उसके बाद यह मामला आगे गया। उसमें एडवोकेट कौशिक पांड्या म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की तरफ से लड़े और यह पता चला कि यह जो बिल्डिंग बनी है, सूरत का जो पोर्ट है, वहां से जो टैक्स आया है, उस पैसे से बनी है। तब जाकर सूरत की म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की बिल्डिंग बनी। तो क्या महोदय, ऐसा नहीं है कि एक्ट में ये जो Sweeping powers दिये गये थे, असीमित अधिकार दिये गये थे, उनको खत्म होना नहीं चाहिए? इसके लिए मैं अपने मंत्री जी को और प्रधान मंत्री जी को भी साधुवाद देता हूँ।

महोदय, मेरे स्टेट के आगरा की बात है। मैं आगरा का एसएसपी भी रहा हूँ और डीआईजी भी रहा हूँ। मैंने ताज महल बहुत देखा है। यहाँ जितने भी हेड्स ऑफ दि स्टेट्स आते थे, तो वे वहां जरूर आते थे और प्रोटोकॉल में मुझे वहाँ मौजूद रहना पड़ता था। महोदय, 2014 में वहां समाजवादी पार्टी की सरकार थी। वहां इनके एक कद्दावर मंत्री थे, जो इस समय सजा पाकर जेल में हैं। उन्होंने कहा था कि साहब, यह तो वक्फ की प्रॉपर्टी है। इनके पार्टी के एक साहब फिरोजाबाद के थे, उन्होंने कहा कि मुझे मुतवल्ली बना दीजिए और ताजमहल तो वक्फ प्रॉपर्टी है। इसका भी लिटिगेशन हुआ, मामला उठा और फिर वह नहीं हो पाया। तो महोदय, ताजमहल जैसी संपत्ति के बारे में यह कहा गया कि यह वक्फ की है।

महोदय, अब मैं ज्ञानवापी मस्जिद पर आता हूँ। सब जानते हैं कि 9 अप्रैल, 1669 को औरंगजेब ने हुक्नामा जारी किया था और उस हुक्मनामे के तहत काशी विश्वनाथ मंदिर तोड़ा गया, जनवरी, 1670 में केशवदेव मंदिर, मथुरा तोड़ा गया। वहाँ पर भी उत्तर प्रदेश सुन्नी वक्फ बोर्ड ने दावा किया कि जहाँ ज्ञानवापी मौजूद है, वह वक्फ की जमीन है। ये इस तरह के कारनामे यहाँ करते रहे। उसका कारण केवल सेक्शन 40 था। सेक्शन 40 के तहत यह किया गया। यह

इतिहास में है, सब कुछ है। अब आप देखें, जितने ये कारनामे हो रहे हैं, वे 2020 के बाद हो रहे हैं। इसी तरह से इन्होंने वहाँ केशवदेव मंदिर का क्या हाल किया, वह आप जानते हैं।

महोदय, मैं अब कोट द्वारिका पर आता हूँ, जिसको बेट द्वारका बोलते हैं। 2021-22 में गुजरात वक्फ बोर्ड ने गुजरात हाई कोर्ट में एक पिटीशन डाला। उन्होंने कहा बेट द्वारका की दो आइलैंड्स वक्फ की प्रॉपर्टीज़ हैं। महोदय, यह बेट द्वारका भगवान कृष्ण से संबंधित है। कच्छ की खाड़ी में शंखोद्वार एक द्वीप है। यह द्वीप समुद्र तट पर स्थित है। इसकी लंबाई 13 किलोमीटर है और औसत चौड़ाई करीब 4 किलोमीटर है। महोदय, इसके बारे में कहा गया कि यह वक्फ की प्रॉपर्टी है। अगर यह एक्ट रहता और यूपीए सरकार continue रहती, तो भगवान कृष्ण का जो हमारा तीर्थस्थल है, उसको वक्फ प्रॉपर्टी के नाम पर ले लिया जाता। इस तरह से इसका दुरुपयोग हुआ।

महोदय, आप नेट पर देख लीजिएगा, एक मौलाना 2017 में क्या कह रहे थे? वे कह रहे थे कि यह बद्रीनाथ नहीं है, यह विष्णु मंदिर नहीं है, ये तो बदरुद्दीन शाह हैं। उन्होंने यह कहा कि यहाँ के मुख्य मंत्री को यह बद्रीनाथ टेंपल मुसलमानों को सौंप देना चाहिए। अगर वे ऐसा नहीं करेंगे, तो हम इस पर कब्जा कर लेंगे। सर, यह ऑन रिकॉर्ड है। जो बद्रीनाथ टेंपल सिर्फ देश के हिंदुओं का नहीं, बल्कि पूरे विश्व के जो हिंदू हैं, सनातन धर्मी हैं, उन सबकी उसमें आस्था है, उसके बारे में कहा गया कि यह बदरुद्दीन शाह है। श्रीमान, देहरादून के रायपुर थाने में इसका मुकदमा कायम हुआ था। इन्होंने वक्फ एक्ट के सेक्शन 40 का कितना इस्तेमाल किया है, यह इससे पता चलता है।

महोदय, तेलंगाना वक्फ बोर्ड के द्वारा हैदराबाद में फाइव स्टार होटल को कहा गया कि यह भी वक्फ की संपत्ति है। उस होटल का नाम मैरिएट होटल है। उसको भी कोर्ट में जाना पड़ा, तब वह फाइव स्टार संपत्ति बन पाई। अगर ऐसा नहीं होता, तो वह भी वक्फ की संपत्ति हो जाती।

महोदय, ये वक्फ अमेंडमेंट बिल, 2013 लाए। उसमें तो इन्होंने तुष्टिरण की पराकाष्ठा कर दी। मैं उसको दोहरा रहा हूँ कि 2014 में जब चुनाव आने वाला था और आचार संहिता लगने वाली थी, तो उसको रातों-रात डिनोटिफाई करके 123 संपत्तियां दे दी गईं। श्रीमन, लुटियन जोन की 123 संपत्तियां दे दी गईं। जेपीसी में हमने सेक्रेटरी, अर्बन डेवलपमेंट को बुलाया। सेक्रेटरी, अर्बन डेवलपमेंट ने कहा कि 1911 में दिल्ली राजधानी बनी, 1912-13 में जमीन का अधिग्रहण हुआ, मुआवजा दिया गया, म्युटेशन हो गया और 58 साल बाद दिल्ली वक्फ बोर्ड नोटिस देता है कि ये तो वक्फ की संपत्ति है। श्रीमान, अगर यह यूपीए सरकार रहती, तो जहाँ हम बैठे हैं और पूरी दिल्ली वक्फ प्रॉपर्टीज़ होतीं, लेकिन आज हम लोग यह जो एक्ट ला रहे हैं, इससे हमें निजात मिलेगी।

श्रीमान, तमाम प्रॉपर्टीज़ ऐसी हैं, जो evacuee properties हैं, जिनको हम enemy properties कहते हैं। यहाँ के जो लोग पाकिस्तान चले गए, वे प्रॉपर्टी खाली कर गए और वह प्रॉपर्टी evacuee property है। श्रीमान, वहाँ के जो हिंदू थे, वे छोड़ कर चले आए। उनकी हिम्मत नहीं है कि वे चले जाएँ। 8 अप्रैल, 1950 में लियाकत और नेहरू जी में समझौता हुआ। एक टाइम दिया गया था कि आप लोग वहाँ जाकर अपनी जमीनें सेटल कर सकते हैं, तो हिंदू, सिख की तो हिम्मत नहीं हुई और यहाँ की जो तमाम प्रॉपर्टीज़ गईं, वे बैक डेट में वक्फ हो गयीं। श्रीमन्, वहां से जो हिंदू-सिख आए, वे सेटलमेंट में रहे। आज उसी प्रॉपर्टी में वे किराएदार हैं। ...(**समय की**

घंटी)... श्रीमन्, मैं एक मिनट और लूँगा। मेरा कहना है कि इन संपत्तियों की भी जांच होनी चाहिए। महोदय, उसका जीता-जागता उदाहरण मुजफ्फरनगर रेलवे स्टेशन के ठीक सामने की एक संपत्ति है। वह संपत्ति लियाकत अली खान की थी, जो पाकिस्तान के पहले प्रधान मंत्री रहे। श्रीमन्, उस संपत्ति पर एक मस्जिद बना दी गई, दुकानें बना दी गईं और अब जाकर उसको एनिमी प्रॉपर्टी घोषित किया गया और वह सरकार के हाथ में आई।

महोदय, यह जो नया वक्फ अमेंडमेंट ऐक्ट आ रहा है, इसमें सबको न्याय मिलेगा, दलितों को मिलेगा, पसमांदा मुसलमानों को मिलेगा और चाहे हिंदू हों, मुसलमान हों, सिख हों या ईसाई हैं, अब उनकी संपत्तियां नहीं छीनी जा सकेंगी। यह ऐक्ट न्याय देने वाला है, "सबका साथ, सबका विकास" वाला है। श्रीमन्, मैं इसका समर्थन करता हूँ। जय हिंद!

श्री उपसभापतिः श्री इमरान प्रतापगढ़ी जी, 15 मिनट।

श्री इमरान प्रतापगढ़ी (महाराष्ट्र)**:** धन्यवाद,उपसभापति महोदय।

"हमीं को कातिल कहेगी दुनिया,
हमारा ही कत्ल-ए-आम होगा,
हम ही कुएँ खोदते फिरेंगे,
हमीं पे पानी हराम होगा"!

उपसभापति महोदय, सन् 1947 में दिल्ली की जामा मस्जिद की तारीखी सीढ़ियों पर खड़े होकर भारत रत्न मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब ने कहा था कि मुसलमानो, कहां जा रहे हो, ये है तुम्हारा मुल्क, यहां तुम्हारे आबा-ओ-अजदाद की कब्रें हैं। उस वक्त मौलाना आज़ाद की ये सदाएँ सुनकर लोगों ने अपने सरों की गठरियां उतारकर रख दी थीं। आज उसी दिल्ली में मौजूद देश की संसद में एक बिल आया है, जो हमसे उसी जामा मस्जिद की सीढ़ियों के सबूत मांगेगा, जिसे उन्हीं सीढ़ियों के पास अपनी कब्र में सोए हुए मौलाना आज़ाद को फिर से सदा देनी पड़ेगी कि यह जो कब्र है, यह मेरी कब्र है, यह किसी सरकार की जागीर नहीं है। उपसभापति महोदय, मैं जहां खड़ा हूँ, इसी संसद भवन के सामने सड़क के उस पार अपनी कब्र में सोए हुए भारत के पूर्व राष्ट्रपति, फखरुद्दीन अली अहमद की कब्र है। शायद, अब उस कब्र से भी सदाएं आएँ कि यह कब्र मेरी कब्र है, यह सरकार की जागीर नहीं है।

उपसभापति महोदय, मैं वक्फ कानूनों में किए जा रहे संविधान विरोधी बदलावों के खिलाफ बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ। संविधान का आर्टिकल चाहे 14 हो, 29 हो, 30 हो, वह चीख-चीख कर कहता है कि देश में सब बराबर के हकदार हैं। आर्टिकल 26 कहता है कि सबको अपने-अपने मजहबी कामों के लिए मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर और गुरुद्वारों का निर्माण करने का हक़ है और उनके रखरखाव का भी हक़ है, लेकिन डा. बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान को हर दिन कुचलने वाली यह सरकार देश के मुसलमानों से नफरत में इतनी अंधी हो गई है कि खुलेआम

देश की संसद में इस सरकार के माइनॉरिटी मिनिस्टर साहब और होम मिनिस्टर साहब £ बोलते हैं और देश को गुमराह करते हैं। ...(**व्यवधान**)...

श्री उपसभापतिः £ शब्द असंसदीय है।

श्री इमरान प्रतापगढ़ीः असत्य बोलते हैं। सरकार ने इस बिल का नाम 'उम्मीद' रखा है। मंत्री जी कल से इसे देश के मुसलमानों के लिए नई उम्मीद बता रहे हैं। नहीं मंत्री जी, यह बिल न तो मुसलमानों के लिए उम्मीद है और न ही उम्मीद की नई किरण। उपसभापति महोदय, भाजपा ने पूरे देश में वक्फ के नाम पर कई सारे £ फैलाए हैं। आइए, आज हम उनकी सच्चाई पर बात करते हैं। ...(**व्यवधान**)...

श्री उपसभापतिः जो भी असंसदीय शब्द होगा, रिकॉर्ड से निकाल दिया जाएगा।

श्री इमरान प्रतापगढ़ीः वक्फ ट्रिब्यूनल को ऐसे बताया जाता है, जैसे वक्फ ट्रिब्यूनल कोई मजहबी खाप पंचायत हो, जबकि सच्चाई यह है कि वक्फ ट्रिब्यूनल भी तो सरकारी न्यायिक विभाग है, जिसमें सरकार द्वारा नियुक्त जज होते हैं, जिसमें प्रशासनिक अधिकारी होते हैं! वे कहीं ऊपर से थोड़े ही आ गए हैं।

उपसभापति महोदय, देश के गृह मंत्री जी ने इसी सदन में कहा कि वक्फ ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ कोई कोर्ट नहीं जा सकता, जबकि सच यह है कि वक्फ ऐक्ट, 1995 की धारा 83 (ix) के तहत हाई कोर्ट वक्फ ट्रिब्यूनल के फैसले की न सिर्फ समीक्षा कर सकता है, बल्कि उसे बदल भी सकता है। सच तो यह है कि वक्फ बोर्ड खुद अपनी जमीनों के लिए कई सारी कोर्ट्स में मुकदमे लड़ रहा है। महोदय, दिल्ली की जिन 123 संपत्तियों को लेकर कल माइनॉरिटी मिनिस्टर, होम मिनिस्टर साहब और अभी आदरणीय नेता सदन बात कर रहे थे, आइए उनकी सच्चाइयों पर भी बात करते हैं।

8.00 P. M.

1911 में, जब अंग्रेजी हुकूमत ने कोलकाता के बजाय दिल्ली को राजधानी बनाने का फैसला किया, तब रायसीना हिल्स के चारों तरफ जो मुसलमानों की ढेर सारी जमीनें थीं, उन्हें acquire किया गया और लुटियन को इसकी तामीर की जिम्मेदारी सौंपी गई। सेंट्रल Vista की तरह लुटियंस जोन का मेगा प्लान तैयार हुआ, लेकिन उस वक्त के मुसलमानों ने उस वक्त की अंग्रेजी हुकूमत से अपनी इबादतगाहों को बचाने के लिए लड़ाई लड़ी। मामला ब्रिटिश सरकार तक पहुंचा, तब यह तय हुआ कि धार्मिक स्थल जस के तस रहेंगे। इंडिया गेट के बगल वाली मस्जिद हो, ज़ब्ता गंज - सुनहरी बाग मस्जिद हो, पार्लियामेंट रोड वाली मस्जिद हो - ऐसी 123 संपत्तियों के प्रबंधन के

£ Expunged as ordered by the Chair.

लिए 1913 में 'Mussalman Wakf Validation Act' बना। इसके बाद एक नया शहर बसाया गया, जिसे लुटियंस जोन का नाम दिया गया।

फिर आज़ादी से पहले 1943-45 के बीच एक और समझौता हुआ, जिसके तहत काफी सारी वक्फ जायदाद को सुन्नी मजलिस औक़ाफ़ के अंतर्गत कर दिया गया ताकि उनकी देखरेख हो सके। गृह मंत्री जी दो दिन से सदन में जो बात कह रहे हैं, वह दरअसल वही 123 संपत्तियां हैं, जो सुन्नी मजलिस औक़ाफ़ के तहत आती हैं।

उपसभापति महोदय, भारत आज़ाद हुआ। आज़ादी के बाद, 1954 में वक्फ एक्ट लागू हुआ, जिसकी धारा 9 के तहत 1964 में केंद्रीय वक्फ काउंसिल का गठन हुआ। दिल्ली की वही 123 प्रॉपर्टीज को 1970 में सर्वे करके गजट नोटिफाई किया गया। इसके निपटारे के लिए पूर्व प्रधान मंत्री इंदिरा गांधी ने 1974 में बरनी कमेटी बनाई। बर्नी कमेटी ने 1976 में इन 123 संपत्तियों को दिल्ली वक्फ बोर्ड की संपत्ति होने की रिपोर्ट सौंपी। उस रिपोर्ट के आधार पर, 1984 में कांग्रेस सरकार ने इन 123 प्रॉपर्टीज को दिल्ली वक्फ बोर्ड को सौंपने का फैसला किया, जिसके खिलाफ विश्व हिंदू परिषद कोर्ट गई। मामला 2011 तक लंबित रहा। फिर 2011 में कोर्ट ने सरकार को इसका निपटारा करने का आदेश दिया। तब 2013 में तत्कालीन यूपीए सरकार ने दिल्ली की इन्हीं 123 जायदादों को बरनी कमेटी की सिफारिशों के मुताबिक वक्फ बोर्ड के हवाले किया। यही वे प्रॉपर्टीज हैं, जिन पर गृह मंत्री जी कल से कांग्रेस को कोस रहे हैं। फिर आई 2014 में भाजपा सरकार, जो तब से इन ज़मीनों को हड़पने की साजिश कर रही है। जिस बिल को मुसलमानों के हुकूक की हिफाज़त करने वाला बताया जा रहा है, उसी पर बात करने के लिए लोकसभा में भाजपा सरकार के पास एक भी मुस्लिम सांसद नहीं है। ...(**व्यवधान**)... मैं लोक सभा कह रहा हूं। आप पहले सुना कीजिए। जिस वक्फ बिल को मुस्लिम महिलाओं को हक दिलाने वाला बताया जा रहा है। उसे संसद में पेश करने वाली पार्टी के पास न तो राज्य सभा में, न ही लोक सभा में और न देश की किसी भी विधान सभा में एक भी मुस्लिम महिला सदस्य नहीं है।

कल किरण रिजिजु जी कह रहे थे कि रेलवे की जमीनें देश की जमीनें हैं, डिफेंस की जमीनें देश की जमीनें हैं। हां मंत्री जी, बिल्कुल हैं। लेकिन वक्फ की जमीनें हमारे पूर्वजों ने धार्मिक कार्यों के लिए दान दी हैं। हम भी तो इसी देश के नागरिक हैं, इसी देश के बेटे हैं। तो वक्फ की जमीनें भी इसी देश की जमीनें हैं। फिर आप उन्हें पराया क्यों बोलते है?

उपसभापति महोदय, अशफाक उल्ला खान जब फैज़ाबाद की जेल में फांसी के फंदे पर झूल रहे थे, तो इसी देश की ज़मीन के लिए झूल रहे थे। अंडमान की जेल में काला पानी की सजा काट कर अपनी जान देने वाले मौलाना फज़ले हक खैराबादी हों या शेर खान अफरीदी हों, वे भी इसी जमीन के लिए अपनी जान दे रहे थे। महोदय, पाकिस्तान के खिलाफ लड़ते हुए अपनी जान देने वाले महावीर चक्र विजेता ब्रिगेडियर उस्मान हों या पाकिस्तान के पैटन टैंक उड़ाने वाले परमवीर चक्र विजेता वीर अब्दुल हमीद हों - वे भी इसी जमीन के लिए अपनी जान दे रहे थे।

मंत्री जी, मैं इस सदन में अलल-ऐलान यह कहता हूं कि जब भी इस देश की जमीन को लहू की ज़रूरत होगी, आपसे दो कदम आगे इमरान खड़ा मिलेगा। यह मैं आपको यकीन दिलाते हुए कह रहा हूं। उपसभापति महोदय, मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि हमसे हमारी इबादतगाहें मत छीनिए, हमारे घरों पर बुलडोजर मत चलाइए और कम से कम हमारी कब्रों में तो हमें सुकून से सोने दीजिए।

महोदय, माइनॉरिटी मिनिस्ट्री का बजट कट करके, मुस्लिम बच्चों की scholarship बंद करके अब सरकार कह रही है कि हम वक्फ की आमदनी से गरीब मुसलमानों का भला करेंगे। गुजरात की बेटी बिलकिस के बलात्कारियों की रिहाई के बाद उन्हें माला पहनाने वाले लोगों के नेता यह कह रहे हैं कि यह बिल मुस्लिम महिलाओं को उनका हक दिलाएगा। धन्यवाद, मोदी जी, आप क्या बढ़िया सौगात-ए-मोदी दे रहे हैं? पहले हमें गुजारत-ए-मोदी दिया, अब सौगात-ए-मोदी दे रहे हैं। यह सरकार इतना याद रखे कि इसी ठसक के साथ देश की संसद में CAA का कानून भी लाया गया था और बड़े-बड़े भाषण देकर कहा गया था कि पड़ोसी देशों से हिंदू भाइयों को लाकर यहां नागरिकता दी जाएगी। सर, मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं कि पिछले इतने दिनों में इनसे नागरिकता लेने के लिए दो हजार व्यक्ति भी नहीं आए, जबकि इसके उलट, इन्हीं की सरकार में पिछले दस साल में 15 लाख से ज्यादा भारतीयों ने भारत की नागरिकता छोड़कर दूसरे देश में जाकर बस गए। यह उस कानून का अंजाम हुआ।

उपसभापति महोदय, इसी तरह की जिद के साथ किसानों के खिलाफ भी कानून लाए गए थे। जिस तरह आज वक्फ के फायदे गिनाए जा रहे हैं, उसी तरह से किसानों को भी कृषि कानूनों के फायदे गिनाए गए थे, लेकिन अंजाम क्या हुआ? 700 किसानों की शहादत लेने के बाद सरकार को अन्नदाता किसानों के सामने घुटने टेकने पड़े और कृषि कानून वापस लेने पड़े। जिल्ल-ए-इलाही, जम्हूरियत जो है, वह नफरत और ठसक से नहीं चलती है, अकड़ से नहीं चलती है। उसमें सबकी हिस्सेदारी जरूरी है। कल देश के माइनॉरिटी मिनिस्टर ने लोक सभा में खड़े होकर एक शेर सुनाया था

मुझसे कोई बद- गुमाँ न हो,

तो मैं उन्हें एक शेर सुनाना चाहता हूं।

मैं आज ज़द पे हूं, तो इतना ख़ुश- गुमान न हो,
चराग़ सबके बुझेंगे, हवा किसी की नहीं।

चाहे नीतीश कुमार जी हों, चंद्रबाबू नायडू जी हों, चिराग पासवान जी हों, जयंत चौधरी जी हों, देवेगौड़ा जी हों, जीतनराम माँझी जी हों, सबको समझना पड़ेगा कि जब जंगल में आग लगती है, तो न वे बरगद बचते हैं, जो हवा को आंधी में तब्दील करते हैं, न वे बांस बचते हैं, जो आपसी रगड़ से चिंगारी पैदा करते हैं।

महोदय, जब देश को मनमोहन सिंह साहब जैसा काबिल प्रधान मंत्री मिलता है, तो देश को RTI Act मिलता है, SEZ Act मिलता है, MGNREGA Act मिलता है, Liberalization मिलता है, Right to Education मिलता है, National Food Security Act मिलता है, लेकिन जब देश को सौगात-ए-मोदी मिलती है, तो क्या मिलता है - CAA मिलता है, Farms Law मिलता है, Article 370 मिलता है, Electoral Bond Act मिलता है और Waqf (Amendment) Act जैसे बिल देश को मिलते हैं। मुझे तो अपने हम वतन भाइयों से पूछना है कि आपको अपने बच्चों की तरक्की, खुशहाली और नौकरी की दरकार है या फिर मुसलमानों की दान की गई जमीनों को लूटकर धन्नासेठों को देने की साजिश करने वाले कानून की जरूरत है।

महोदय, यह सरकार रात के तीन बजे तक पूरे देश को जगाकर संसद में अपने ही नागरिकों को नीचा दिखाने के लिए वक्फ बिल ला रही थी, तो उधर रात के डेढ़ बजे अमरीका हम पर 26 परसेंट टैरिफ लगा रहा था। सरकार की प्राथमिकताएं देश को पता हैं। मैं आज बहुत भावुक हूं और मुझे अच्छा लगा कि आदरणीय नेता सदन जगत प्रकाश नड्डा जी ने बहुत अच्छी बातें की, मन से बातें कीं, चूंकि उनके नाम में प्रकाश जुड़ा है, तो मैं उनमें हमेशा एक रोशनी की किरण देखता हूं। मैं उनके सामने बहुत अदब से यह बात कहना चाहता हूं,

"चिरागों के सफर में दबदबा हो आंधियों का,
तो फिर अंजाम जुल्मत के सिवा कुछ नहीं है।
यह दुनिया नफरतों के आखिरी स्टेज पर है,
इलाज इसका मोहब्बत के सिवा कुछ भी नहीं है।"

मैं भावुक हूं, मेरी पलकें गीली हैं। अगर देश की एक बहुत बड़ी आबादी को लगता है कि आप उसका भला करने के लिए नहीं, बल्कि उनकी इबादतगाहों, उनकी कब्रिस्तानों, उनकी खानकाहों को बरबाद करने का बिल ला रहे हैं, तो फिर अगर आप समझाने में नाकामयाब रहे हैं, तो यह आपकी नाकामयाबी है। पहले समझाइए, उसके बाद कोई बिल लेकर आइए, तब शायद हम आपका इतने पुरज़ोर तरीके से विरोध न करें।

उपसभापति महोदय, मैं अंत में सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि इस बिल में जो भी प्वाइंट्स दिए गए हैं, आप बोन्साई पोर्टल देख लीजिए, सरकार का असत्य आपकी पकड़ में आ जाएगा। हम डरे नहीं हैं, हम सिर्फ सरकार से अपील कर रहे हैं कि हमें अपना समझिए। हम आपके अपने हैं, इस देश के नागरिक हैं। आप ताकत में हैं, संख्या बल के आधार पर हो सकता है कि आप बिल पास करा लें, लेकिन आपको यह बात समझनी पड़ेगी कि,

'हम तो वो तारीख हैं
ज़ेहनों में रहना है जिसे
कागजी पुरजे नहीं
जो फाड़ डाले जाएंगे
जिस जमीन पर मैं खड़ा हूं,
यह मेरी पहचान है।
आप आँधी हैं
तो क्या मुझको उड़ा ले जाएंगे।'

आपको यह बात समझनी पड़ेगी। विपक्ष की तरफ से पहले जेपीसी में इतने सारे प्वाइंट्स आए, उसके बाद कल से लोक सभा और राज्य सभा में दिए गए सुझावों को आप सुनने के लिए तैयार नहीं है, लोगों की शंका दूर करने के बारे में आप बिल्कुल नहीं सोच रहे हैं, आप बस यह कह रहे हैं कि यह बिल उम्मीद की नई किरण है, लेकिन नहीं, इसे भले ही किरेन जी लेकर आए हैं, लेकिन यह उम्मीद की नहीं, बल्कि नाउम्मीदी की किरण है। ...(**समय की घंटी**)... इस देश की एक

बहुत बड़ी आबादी इस बात से ख़दसे में हैं, शक में है कि आप सीधे उनकी जमीनों को धन्नासेठों को बेचना चाहते हैं।

महोदय, मेरी अब भी आपसे अपील है कि इस बिल को वापस लीजिए, यह बिल कहीं से भी आपके अपने नागरिकों के लिए अच्छा नहीं है, यह बिल सिर्फ इस देश के मुसलमानों को नीचा दिखाने का और अपने एक ऐसे मतदाता वर्ग को खुश करने का बिल है, जिनको इस बिल के पास हो जाने से कुछ मिलेगा भी नहीं, लेकिन आप एक नेरेटिव देना चाहते हैं, एक मैसेज देना चाहते हैं। महोदय, मेरी आपसे अपील है कि कृपया यह जो 'सबका साथ-सबका विकास' का नारा है, इस नारे को रत्ती भर तो चरितार्थ कर दीजिए। ...(**समय की घंटी**)... उपसभापति महोदय, इस विषय पर अपनी बात रखने का अवसर देने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, Ms. Sushmita Dev; five minutes.

MS. SUSHMITA DEV (West Bengal): Sir, it is not the first time that the Waqf Act is being amended. It has been done earlier too. सर, मुझसे सीनियर लोग हैं, who have probably even experienced those amendments. But, today, the tone, the tenure and the atmosphere in the House, I think, is not comparable to what may have happened in 2013. Sir, there are two types of intentions. One is the legislative intent which the courts look at when they interpret an Act, and the other is the political intent which all of us in the Opposition have to look at, before we cast our vote today at the end of the debate. What I feel--when I hear both sides, when I hear the Treasury Benches--what stands between the Opposition and what stands between the Treasury Benches is mistrust and why that mistrust is happening is because of the regime that is in power. We are not just debating the Constitution, Article 25 or 26 of the Constitution but, we are today, actually, debating two ideologies. An ideology that the Bharatiya Janata Party believes in and the ideology which the party sitting in the Opposition believe in.

Sir, we believe in an ideology that every religion is equal, every race is equal, every gender is equal. But, when we look at this side, and we listen to their speeches carefully, they are a party with an ideology that keep taking us back to the days of partition, those painful days. And, today, I want to remind this House that after the massive aftermath of the partition of India when we were split into two countries, the two leading personalities who were at the forefront of politics in India and Pakistan were Pandit Nehru and Liaquat Ali. And, the two of them entered into a 1950 Pact showing trust in each other's Constitutions' belief and agreed at length that Minorities in our country and the Minorities in their countries, Hindus, Sindhis, etc., would be able to live with dignity.

That is what we need to look back at. What is this Waqf (Amendment) Bill reeking of? It reeks a mistrust to replace an election process where elected members will sit on the Waqf Board, replacing selection by the State Government. Sir, there is a provision, which, I personally find very shocking that the managing trustee, the *mutawalli* can be removed from his position and one of the grounds is, if he is a member of an organisation which is banned under UAPA. Sir, if this is the kind of racial profiling this Bill is going to do, then, this Bill is suspect of being unconstitutional. I add to that another question; by saying that a non-Muslim person cannot donate land to a waqf, whether we are not creating a bigger divide between the Muslims and non-Muslims in this country, something which hon. Member, Shri Kapil Sibal said. Sir, to say that a Muslim must be a practising Muslim for five years, gives rise to a kind of discretion at the officer level in intervention which, I believe, would be humiliating for any person of any religion. सर, इस बिल का नाम आप लोगों ने उम्मीद रखा है। मैं आप लोगों से यह उम्मीद रखती हूं as a Member of All India Trinamool Congress कि जब-जब 6 दिसंबर आएगा, तब-तब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अलग-अलग जगह पर जुलूस न निकालें। मैं आपसे यह उम्मीद रखती हूं कि असम के मुख्य मंत्री दूसरे प्रदेश में जाकर सीना ठोकर न कहें कि हमने 1,200 मदरसे बंद कर दिए। मैं इस सरकार से यह उम्मीद रखती हूं that you will not tell shopkeepers कि अपनी दुकान के सामने अपना नाम लिखिए। आपको डा. सिंघवी की बात अच्छी नहीं लगी, जब उन्होनें कहा कि कुछ ही सालों में इस बिल को शायद unconstitutional मान कर उड़ाया जाएगा। ...(**समय की घंटी**)... मैं उन्हीं शब्दों को घुमा कर बोलती हूं कि जब यह बीजेपी की सरकार हारेगी और जरुर हारेगी, तब हम पहला काम यही करेंगे कि इस एक्ट के जितने भी unconstitutional provisions हैं, उन्हें हम हटाने का काम करेंगे।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Thank you. Shri K.R. Suresh Reddy; eight minutes.

श्री के. आर. सुरेश रेड्डी (तेलंगाना): सर, मैं बीआरएस पार्टी की तरफ से इस बिल के खिलाफ अपनी बात रख रहा हूं। Sir, we heard the hon. Minister when he gave the gist of the Bill. उनके gist से जहां तक मुझे समझ आया कि जितना भी मंत्री जी ने सदन में बताया कि 75 per cent of the content can be done through an administrative process. We don't really need a Bill. मंत्री जी ने आज और कल इतनी तकलीफ उठाई कि अगर इससे आधी तकलीफ उठाकर आप देश में चार अलग-अलग प्रांतों में North, South, East, West के वक्फ बोर्ड के मेंम्बर्स को, वहां के stakeholders को बुलाना चाहिए था और एक छोटी सी मीटिंग करके यह बताना चाहिए था कि वक्फ में इन changes की जरुरत है, जैसे computerization की जरुरत है या further reforms की जरुरत है और आपको अगर कोई सहायता चाहिए, तो हम देने को तैयार हैं या आपको कुछ expertise चाहिए, आपके पास इतनी जमीन है मगर फायदा सिर्फ 100 करोड़ का हो रहा है, हमारे पास व्यापारियों का expertise है, तो वह हम आपको दिला सकते हैं। ऐसा

करने से आपके ऊपर भरोसा आ सकता था। आपके बिल के content ठीक लग रहा है, परंतु intent में फर्क है। आज लोगों में यही चर्चा हो रही है। Like I said, पहले से ही यही हो रहा है कि एक अच्छा facade क्रिएट किया गया है कि यह progressive Bill बिल है, मगर हम समझते हैं कि यह facade के पीछे progression नहीं, मगर polarization की कोशिश हो रही है। So this is not what a secular India will look at. सर, मैं कहना चाहता हूं 20-25 साल पहले कम्पोजिट आंध्र प्रदेश के एक मुख्य मंत्री जी ने उनके डिपार्टमेंट्स के सर्वे करवाए कि कौन से डिपार्टमेंट में करप्शन ज्यादा है। तो यह startling revelation आया कि दो बड़े डिपार्टमेंट्स हैं - एक है Electricity और एक है Endowments, Endowments में maximum corruption हो रहा है। इसके लिए वहाँ administrative reforms लाए गए ,समझाए गए। वहाँ Endowments Department को कोई कलेक्टर head नहीं करता है ,उनसे बड़ा अधिकारी रहता है। सर ,उनसे बड़ा ऑफिसर रहता है ,कमिश्नर Endowments Department का head रहता है, फिर भी वहाँ पर corruption हो रहा है। Corruption क्या सिर्फ religious institutions में है? Corruption तो हर institution में हो रहा है! मगर आपने एक facade create किया।

आहिस्ता-आहिस्ता यह बात भी आ रही है कि UCC में क्या हो रहा है। UCC का मतलब यह है कि एक कौम वाले इतनी बीवियाँ रख सकते हैं, इतने बच्चे पैदा कर सकते हैं। ये सब बोल रहे हैं। जब inquiry की गई और जब departmentally information आ रही है, तो वे बोल रहे हैं कि people are reforming. Even, the minorities are reforming. उन लोगों में भी बदलाव आ रहा है। अब गोवा में हिंदू दो-तीन शादी कर सकते हैं, अगर मेल बच्चा नहीं हुआ, या अगर बच्चे नहीं हुए, मगर वहाँ पर इस लॉ का हिंदू ने कोई use नहीं किया, because even they are very progressive. So, we have to look in that direction.

डिप्टी चेयरमैन सर, सबसे बड़े डर की बात यह है, जब आंध्र प्रदेश से तेलंगाना बना, जब तेलंगाना का आंदोलन चल रहा था, उस वक्त भी यही बताया गया। यह बताया गया कि अगर तेलंगाना बनेगा, तो इन जिलों में मुसलमान ज्यादा रहेंगे, यह जिला बनेगा, तो हिंदू ज्यादा रहेंगे, हिंदू-मुस्लिम का riot होने वाला है और यहाँ tranquility, peace नहीं रहेगी। मगर आप देख चुके हैं कि तेलंगाना के आंदोलन में हिंदू, मुसलमान, सब केसीआर जी की leadership में एक साथ रहे और आज तक, 12 साल हो गए हैं, एक भी communal riot नहीं हुआ। तेलंगाना राष्ट्र peace and harmony की एक अच्छी मिसाल है। यह मैं बड़े गर्व से आपके सामने रखना चाहता हूँ।

डिप्टी चेयरमैन सर, सबसे बड़ी बात यह है, जो डर आ रहा है कि आप कहते हैं कि non-Muslim cannot give waqf. सर, मैं कई दरगाहों पर जाता रहता हूँ। हमारे यहाँ तेलंगाना में कई जगह लोग जाते रहते हैं। Record says, कि कोई दरगाह में जाए, तो उनकी संख्या क्या है, तो शायद 45 परसेंट मुस्लिम जाते हैं और 55 परसेंट हिंदू जाते हैं। हिंदू वहाँ जाकर मन्नत माँगते हैं कि मुझे बच्चा चाहिए, मेरे बच्चे की तालीम अच्छी हो, मेरे बच्चे की शादी हो, अगर शादी हुई, तो मैं यह वक्फ को दे दूँगा। अगर आप आज बिल ला रहे हैं कि a non-Muslim cannot give that, और मैंने मन्नत माँगी कि अगर मेरा बच्चा हुआ, तो मैं जमीन दूँगा, तो why are you compelling me? You are gradually compelling people for conversion or you are compelling people not to go to a Dargah. So, this is not the right thing, where we have the objection. सर, हमने हाल में देखा है, बड़े-बड़े लोग दरगाह में जाते हैं। The other day, हमने अडाणी जी

को देखा है। वे वहाँ गए हैं। जब अडाणी जी दरगाह पर जाते हैं, तो वहाँ के लोग उम्मीद करते हैं कि वे बहुत progressive आदमी हैं, उनकी leadership में हमको कुछ मदद मिलती है, कुछ फायदा होता है, तो उस फायदे से उस दरगाह का, वहाँ की मुसलमान कौम का कुछ फायदा होगा। शायद अडाणी जी भी यह चाहेंगे। मगर आपके बिल लाने से आज वे कुछ नहीं कर पाएँगे। इसीलिए मेरा कहना यह है कि don't get into these draconian Bills which will hamper the fairness and the secular fabric of our country.

Sir, the other point, of course, a 'Waqf by user' की बात आई कि आप establish करो कि यह आपका है या नहीं है। 200-300 साल का रिकॉर्ड आप कहाँ से establish करेंगे? मैं एक छोटी मिसाल बताता हूँ। ये तो वक्फ की बात कर रहे हैं, मैं revenue की बात कर रहा हूँ। तेलंगाना में आज भी कई लोग जमीन बेचते-खरीदते हैं। कुछ लोग तो ज़ुबानी करते हैं, कुछ लोग उसे सादा बैनामा बोलते हैं। वे कागज पर लिख कर देते हैं कि यह जमीन आपकी है, वे ले लेते हैं। वे लेते हैं, उनके बच्चे के पास आता है, इस तरह से यह उनके बच्चों का होता है। कभी न कभी गवर्नमेंट एक reform लाती है। जैसे हमारे पास Record of Rights है। अगर किसी ने बोल दिया कि यह सादा कागज है, तो हम इस सादे कागज की भी इज्जत करते हैं। We will legalise it and then the title is established. So, these are the progressive things one needs to look at.

So, like I said, contents are very good मिनिस्टर साहब, मगर आपके intent पर शक है। इसीलिए to create a secular and a better environment, we want you to withdraw the Bill because उम्मीद के नाम पर आप बिल ला रहे हैं, मगर मैं समझता हूँ a very, very flairy, a very good secularism शायद आज यहाँ पर शहीद हो रही है। सर, इन चार बातों के साथ, I will once again reiterate that we will oppose the Bill and we want the Government to take back the Bill and come back after further consultations. Thank you, Sir.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The Minister of Parliamentary Affairs, you have an announcement, I think, to make for the hon. Members.

श्री किरेन रिजिजु: सर, मुझे यह बताना है कि अभी लगभग 8.25 हो गए हैं। आज जैसे टाइम तय किया गया है, थोड़ी सी देर होगी। हमारे पास second item of Business भी है। ...*(Interruptions)*... Translation नहीं हो रहा है? ...***(व्यवधान)***... यह मेरी समझ में नहीं आ रहा है।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I will call him after you.

श्री किरेन रिजिजु: चूंकि हमें second item of Business को भी लेना है, इसलिए आज dinner arrange किया गया है, after 9.00 p.m. at First Floor, in MPs' dining hall.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Thank you.

विपक्ष के नेता (श्री मल्लिकार्जुन खरगे): सर, हम इस बिल को पास करने तक बैठेंगे। लेकिन second Bill कल लेने दीजिए। वह तो Resolution है। Resolution कल लेने दीजिए। वह सिर्फ 3 घंटे का है। उस पर हम सब लोग ठीक ढंग से अपनी बात कहें। अगर आपको हड़बड़ी में सब कुछ निपटाना है, तो बात और है। इसलिए मैं आपसे और नड्डा साहब से भी अपील करता हूँ। नड्डा साहब जरा generous हैं, तो मैं उनसे भी अपील करता हूँ। आज बहुत से लोगों ने ठीक ढंग से और अच्छा डिस्कशन किया। खास करके आज जो राज्य सभा में वक्फ के बिल पर जो discussions हुए हैं, शायद इसके पहले किसी और बिल पर इतनी संजीदगी से नहीं हुए। यह record है। बाहर भी सभी लोग कह रहे हैं कि राज्य सभा में सभी पार्टीज़ के लीडर्स ने जो points, जो मुद्दे रखे हैं, अच्छे रखे हैं। यह बात है। आप हड़बड़ी में क्यों मणिपुर का बिल ला रहे हैं? आप उसे कल ले लीजिए। आप खाना खा लीजिए और बाकी काम..

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Hon. Members, the Business has been listed for today itself. Now, Shri Vaiko.

SHRI JAIRAM RAMESH: No, no, Sir.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please. Now, Mr. Vaiko, you have four minutes.

SHRI JAIRAM RAMESH: Sir, I want the Leader in the House ...*(Interruptions)*... Please take up the Statutory Resolution tomorrow morning.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Vaiko, you start. Your time starts now, Mr. Vaiko. ...*(Interruptions)*...

SHRI JAIRAM RAMESH: Take it up tomorrow morning, Sir, please.

SHRI VAIKO (Tamil Nadu): Hon. Deputy Chairman, Sir, I rise to oppose this obnoxious, anti-federal, anti-democratic, anti-secular Bill. It should be withdrawn. That is the view of the people throughout India. The Muslim community is very much disturbed. They are in fear psychosis because many things have happened. They do not feel secure. Is it not a fact that Narendra Dabholkar, champion of secularism, was killed by the Hindutva forces? Is it not a fact that Prof. M.M. Kalburgi was assassinated by the same forces? Is it not a fact that Govinda Belsare, another philosopher, was murdered? Is it not a fact that Gauri Lankesh, a lady journalist, was murdered in Bangalore?

[THE VICE-CHAIRMAN (SHRI RAJEEV SHUKLA) *in the Chair*.]

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI RAJEEV SHUKLA): Please continue.

SHRI VAIKO: They feel insecure. The Waqf (Amendment) Bill 2025 was passed in the Lok Sabha yesterday amidst strong criticisms, *dharnas* and agitations.

SHRI JAIRAM RAMESH: Sir, ...*(Interruptions)*...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI RAJEEV SHUKLA): Let him speak first.

SHRI VAIKO: The Bill proposes major changes to the Waqf Act, 1995, by introducing sweeping changes in the governance and regulation of Waqfs in India. We from the Opposition Parties are strongly opposed to this Bill because it strikes at the very root of democracy. We vehemently oppose this anti-minority Bill because it is, *prima-facie*, unconstitutional, divisive and anti-minority. The anti-Muslim agenda of the Bill was obvious. But what was not so obvious, was the bringing of the Waqf administration largely from State Governments to Central Government. That should have been an anathema to every State Government. But unfortunately, this aspect has gone almost unnoticed. Up till now, the Waqfs in the States and even Hindu Endowments have been largely monitored and managed by the State Governments, but now in case of Waqfs, the proposed amendments provide for among others, framing of rules, management of records and datas and even prescribing of ordinary forms for registration and submission of reports, etc., by the Central Government, to near total exclusion of State Governments.

The Bill had been referred to a joint committee of Parliament for detailed deliberations. There also, the Opposition Party Members were not allowed to express their views; they were not given adequate opportunities to put questions to the witnesses who appeared before the JPC. Dissenting notes given by the Members of JPC representing the Opposition Parties speak volumes of irregularities and undemocratic manner in which the proceedings were conducted and the Report was adopted in the absence of all Members from the Opposition.

The Waqfs in India have been legally governed in India since 1913. The Muslim Waqf Validating Act was enacted in 1913 during the British period. This Act was replaced by the Mussalman Wakf Act, 1923, and, later on, in the free India, the Waqf Act was strengthened by incorporating various provisions. This Bill brings sweeping changes in the present enactment and takes away the rights of the minority

communities. In the earlier law, in the case of dispute resolution of a Government land considered as Wakf property, Waqf Tribunal would decide the matter. In the present Bill, it has been provided for stating that the State Government may, by notification, designate an Officer above the rank of Collector, hereinafter called the designated officer, who will decide whether a property is waqf or Government land and the decision being final. In the principal law, Waqf Act, 1995, oral recognition of waqf was admissible for consideration of a property as waqf. In the present Bill, this provision is being removed, and properties without a valid waqfnama will be treated as suspect or disputed and will remain inactive until the District Collector makes a final decision.

No non-Muslim members were allowed in the composition of Waqf Board. This Bill provides for the appointment of non-Muslim CEO and, at least, two non-Muslim members to the State Waqf Boards. It would lead to undermining the integrity of these religious bodies and the non-Muslim members lack comprehensive understanding of the cultural and religious practices of Islam. As highlighted by me, this is a clear violation of religious rights of Muslim community. This Bill infringes upon the freedom of religion as provided under Article 25 of the Constitution and the autonomy of the Muslim community to manage their own religious affairs. This Bill also provides greater powers to the Government over Waqf properties, including involvement of District Collector or a designated officer notified by the State Government in property disputes. The right forum should be the Waqf Tribunal to decide the matter. By involving district collector or the designated officer, it would lead to bureaucratic delays and executive overreach on the judiciary.

Therefore, the Waqf Amendment Bill, 2025, is a direct assault on the constitutional rights and the sanctity of Waqf properties -- endowments dedicated to community welfare. ...(*Time-bell rings.*)... One minute, Sir. If this encroachment goes unchallenged, it will set a dangerous precedent, threatening religious and cultural community assets across India. This is not just about Waqf but it is about the fundamental right to protect religious endowments, defend constitutional guarantees, and resist State overreach into community trusts.

I, therefore, oppose this Bill tooth and nail with all the force at my command. It should be rejected lock, stock and barrel. With this, Sir, I conclude. Thank you, Sir.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI RAJEEV SHUKLA): Thank you, Mr. Vaiko. Now, Shri Milind Deora. You have got five minutes. We are still left with 22 speakers. So, everybody will have to adhere to the time which has been allotted to each of them.

श्री मिलिंद मुरली देवरा (महाराष्ट्र): सर, इससे पहले कि मैं महाराष्ट्र, शिवसेना, एकनाथ शिंदे जी की ओर से वक्फ अमेंडमेंट बिल, 2025 पर अपना भाषण प्रस्तुत करूँ, मैं सबसे पहले कहना चाहता हूँ कि मैं जिस मुंबई शहर से आता हूँ, वह हमारे देश की आर्थिक-सांस्कृतिक राजधानी है। मैं बहुत गर्व से कह सकता हूँ कि जिस प्रकार मुंबई में पूरे देश की डायवर्सिटी, विविधता नजर आती है, उसी प्रकार से मुस्लिम समाज में जो डायवर्सिटी है, वह आपको मुंबई में दिखेगी। हमारे माइनॉरिटी अफेयर्स मंत्री, मेरे खास मित्र, किरेन रिजिजु जी हैं, उनके मुस्लिम समाज के सभी सब-कम्युनिटीज़ - शियाज़, सुन्नीज़, दाऊदी, बोराज़, आगाखानीज़, जिसको हम इस्माइली शियाज़ कहते हैं, के साथ बहुत अच्छे संबंध हैं और मेरी इनके साथ बहुत इंटरेक्शन होती है। मैं आज विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि मुस्लिम समाज और खासकर, जो नौजवान मुस्लिम समाज है, वे एक ही बात कहते हैं कि हमें तुष्टीकरण नहीं चाहिए, हमें सशक्तिकरण चाहिए। We want empowerment; we do not want appeasement. उन्हें शाहबानो का काला इतिहास नहीं चाहिए, उन्हें एक सुनहरा भविष्य चाहिए। So, today, hand on everyone's heart, we keep politics aside. People are talking about secularism; people are talking about minorities and people are talking about women. I was a young man when that happened. Who will deny that one of the greatest assaults on women, on minorities and on secularism was the Shah Bano case. Today, the Muslim youth are noticing what is happening with other religious minorities, with Christians, with Sikhs, with Parsis and with Jains. They are realising that when a community freezes itself into the trap of appeasement, the sky is the limit. Anything is possible. That is why these other communities are progressing and moving forward. आजकल यह कहना एक फैशन बन चुका है कि यह सरकार religious minorities के खिलाफ है। मेरे से पहले ट्रेजरी बेंचेज़ से इस स्टैटिस्टिक्स को हाईलाइट नहीं किया गया और इसलिए मैं आपकी अनुमति लेकर तीन महत्वपूर्ण स्टैटिस्टिक्स सदन के सामने रखना चाहता हूँ। Number one, 2014 में, the overall percentage of religious minorities in Central Government jobs was 5.3 per cent. Within three years of Modi*ji* becoming Prime Minister, the percentage of religious minorities in Central Government jobs went from 5.3 per cent to 9.9 per cent.

हमारे आदरणीय गृह मंत्री, अमित शाह जी ने लोक सभा में धारा 370 के बारे में कहा। मैं सबसे पहले कश्मीरी पंडितों और कश्मीरी मुसलमानों की ओर से अमित शाह जी को बहुत-बहुत धन्यवाद और बधाई देता हूँ कि उन्होंने धारा 370 को abrogate किया। धारा 370 हटने के बाद मुझे तीन बार कश्मीर जाने का अवसर मिला। If we look at districts like Baramulla and Anantnag, the kind of progress that is happening there is amazing. In fact, I would say कि कुछ लोगों ने जो एक fear narrative चलाया कि यदि धारा 370 को हटाया जाएगा, तो सबसे ज्यादा नुकसान कश्मीरी मुसलमानों का होगा। आज मैं पूरे विश्वास और अपने खुद के direct experience से कह सकता हूँ कि धारा 370 हटने के बाद सबसे ज्यादा फायदा कश्मीरी मुसलमानों को हुआ। जब 2019 में धारा 370 हटाई गई, तो उस समय कश्मीरी मुसलमानों का per capita income was Rs.1.2 lakh. उस समय कोरोना भी चल रहा था। केवल तीन वर्षों के अंदर, 2023 तक their per capita income has gone up from Rs.1.2 lakh to Rs.1.7 lakh. Today,

in Kashmir, there is a tourism boom; there is an infrastructure boom, and people from all over the country and the world are coming there, building infrastructure and investing in tourism which is creating jobs for the young people. My dear friend Kiren Rijiju *ji* is aware of this. The third and most impressive and welcome statistics is from an organisation called PRICE, People Research on India's Consumer Economy. They have said that the income disparity between Hindus and Muslims has narrowed by 87 per cent in 7 years from a monthly difference of Rs.1,917 in 2016 to only Rs.250 in 2023. And, I can confidently say that this is because of the Prime Minister's policy of 'development for all; appeasement for none'. सर, आप हमारे खास हैं, आप हमें थोड़ा टाइम और दे दीजिए।

उपसभाध्यक्ष (श्री राजीव शुक्ला): सबको अतिरिक्त समय देंगे, तो बहुत समय हो जाएगा।

श्री मिलिंद मुरली देवरा: सर, महाराष्ट्र में 'development for all; appeasement for none' मोदी जी का जो मंत्र है। हमारे एकनाथ शिंदे जी जब महाराष्ट्र के मुख्य मंत्री हुआ करते थे, वे महाराष्ट्र में 'लाड़की बहिन स्कीम' लाए। उस समय हमने धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया। महाराष्ट्र में जो भी ज़रूरतमंद महिला थी, उसको हमने पैसे दिए। हमने धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया। इसलिए conclusion में बहुत ही कम शब्दों में मेरे मुस्लिम भाइयों-बहनों से मैं अपील करना चाहता हूं कि वे rumours और fake narratives पर ध्यान न दें। बिल का evaluation उसकी मेरिट के आधार पर करें और आश्वस्त रहें कि सरकार का इरादा ऐसे सुधारों को बढ़ावा देना है, जो लम्बे समय तक समुदाय के लिए फायदेमंद हों। मैंने धारा 370 के बारे में statistics quote की हैं, मुझे पूरा यकीन है कि धारा 370 की तरह ही देश के मुसलमान जल्द ही एहसास करेंगे कि यह बिल भी उनके long-term interest में है, इन्हीं शब्दों के साथ मैं महाराष्ट्र की ओर से, शिवसेना की ओर से और एकनाश शिंदे जी की ओर से इस बिल का तहे दिल से स्वागत और सपोर्ट करना चाहता हूं और इसके साथ-साथ मोदी जी, अमित शाह जी और खास कर हमारे बहुत ही dynamic, democratic मंत्री किरेन रिजिजु जी को बधाई और धन्यवाद देता हूं।

उपसभाध्यक्ष (श्री राजीव शुक्ला): यहां democratic तो सभी हैं, सिर्फ रिजिजु जी ही नहीं हैं। Now, Shri P.P. Suneer.

SHRI P.P. SUNEER (Kerala): Sir, the Waqf Amendment Bill is not about reform; it is about removal. It is not about management; it is about dispossession. It is not a cure; it is an attempt to capture. To make the position of my Party, the Communist Party of India, clear, our opposition to the Bill is not on the basis of Hindu or Muslim or Christian. We reject this Bill in its entirety because it is an assault on secularism and equality, the core values of our Constitution.

The Waqf system has existed for centuries, serving as an institution for religious and social welfare. By taking away key legal protections and centralising control, this Bill paves the way for State interference in religious endowments, violating many fundamental rights. The Waqf Bill violates Article 14 by selectively imposing restrictions on Waqf. It infringes upon Article 25 by allowing the State to decide who qualifies to create a Waqf. It disregards Article 26, which guarantees religious denominations the right to manage their own affairs. This Bill is not only unfair, it is clearly unconstitutional. More than that, this Bill is a diversion. At a time of economic crisis and mass unemployment, this Government chooses to manufacture communal controversies. Yesterday, it was Aurangzeb. Today, it is Waqf. The aim is clear: keep the people divided and distracted by demonising minorities.

Now, coming to the provisions of the Bill, first, the removal of 'Waqf by User' provision is an assault on community rights. This provision has for long protected properties used for religious and charitable purposes. Its removal clears the way for land grabs and capture. Second, the new eligibility criterion, that only those practising Islam for five years can declare Waqf, is an arbitrary and intrusive rule. Faith is a matter of personal belief, not bureaucratic certification. No truly secular State should distribute certificates of who is a believer and who is not. Third, the transfer of Waqf dispute resolution from Tribunals to District Collectors places decision-making solely in the hands of the Government-controlled bureaucrats. The Collector is also the top Revenue Officer of a district. In case of conflict between the Government and the Waqf, it is not difficult to guess in whose favour the Collector will decide. Fourth, restructuring the Waqf Council to include non-Muslims and increase Government interference is an unjustified overreach. This is selective interference to target minorities, and not a reform. Tomorrow, the same thing can happen to churches, gurudwaras, Buddhist viharas and temples of minority sects. Everyone should understand that the current Government has no respect for any religion. Its only religion is clinging to power. The Munambam issue arose with the support of the Central Government with the intention of creating a communal conflict in Kerala. In reality, all the political parties share the same opinion in resolving this issue. The LDF Government is committed to providing land to all eligible residents living there and ensuring that it is done.

The Bill is not about fairness or better management of Waqf properties as the BJP is claiming. It is about alienation. It reinforces the false narrative that Waqf properties are illegitimate and that the minorities are outsiders in their own country. Speaking in the Lok Saba, the hon. Home Minister said that anyone aggrieved by the

Bill should go to the judiciary. The judiciary is here to do justice. I want to ask the hon. Home Minister and the House whether we are here to do injustice!

Sir, while concluding, I would say that India's secular definition is clear. The State's job is to ensure fairness to all religions. With these words, on behalf of the CPI, I demand that this Bill must be withdrawn. If the Government truly believes in reforms, let it consult the stakeholders, respect their autonomy and uphold constitutional values that protect every Indian regardless of faith. Thank you.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI RAJEEV SHUKLA): Shri Manan Kumar Mishra.

श्री मनन कुमार मिश्र (बिहार): उपसभाध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं इस ऐतिहासिक बिल के लिए माननीय प्रधान मंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी और हमारे माननीय किरेन रिजिजु जी को बहुत-बहुत धन्यवाद दूंगा कि इस देश के गरीब, असहाय और पसमांदा मुसलमानों के बारे में सोचा गया। मान्यवर, सबसे पहले बहुत से वक्ताओं ने, खासकर मैं सिंघवी जी को सुन रहा था, उन्होंने कांस्टीट्यूशन में आर्टिकल 26 की बात की और कहा कि यह बिल आर्टिकल 26 को वायलेट करता है। मैं थोड़ा-सा आर्टिकल 26 के बारे में कहना चाहता हूं। "Subject to public order, morality and health, every religious denomination, or, any section thereof, shall have the right to establish and maintain institutions of religious and charitable purposes." उन्होंने कहा कि यह absolute right है, ऐसा नहीं है। There are conditions. माननीय किरेन रिजिजु जी ने पहले ही कहा और बाकी वक्ताओं ने भी कहा कि वक्फ बोर्ड के खिलाफ हजारों की संख्या में लिटिगेशन पेंडिंग है। Courts are overburdened. ऐसी स्थिति में, जहां पब्लिक ऑर्डर का इतना बड़ा प्रॉब्लम है, उसको ध्यान में रखते हुए सरकार एक बिल लाई है, उसमें भी लिमिटेशन एक्ट के बारे में सिब्बल साहब ने कहा कि लिमिटेशन एक्ट को जोड़ दिया। उसमें लिमिटेशन एक्ट को इसलिए जोड़ा गया है, ताकि इससे लिटिगेशन्स की संख्या कम होगी। The number of litigations will be reduced. Otherwise, यह unending मामला रहेगा। बरसों बाद कोई आकर किसी वक्फ के खिलाफ केस कर देगा, तो इस बिल का जो positive aspect है, उसको negative aspect में पेश किया गया है।

मान्यवर, अभी माननीय सिघंवी द्वारा Waqf by user के बारे में कहा गया - अभी उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की 2020 की रूलिंग का हवाला दिया। सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, कोई भी जो लेजिस्लेचर में existing है, उसी लेजिस्लेशन पर ...(**व्यवधान**)... तो जो existing लॉ है, अभी उसमें Waqf by user है, तो सुप्रीम कोर्ट ने उस ढंग से उसको इंटरप्रेट किया। जब यह बिल लॉ बन जाएगा, तो उस हिसाब उस चीज़ को सुप्रीम कोर्ट recognize नहीं करेगा। इसलिए जो 2021 का लॉ है, वह धीरे से redundant हो जाएगा। सर, अभी 1995 का जो existing एक्ट है, उसमें जितनी deficiencies थीं, उसमें सभी वक्ताओं ने कहा कि उस एक्ट में - हिंदी में एक कहावत कही जाती है कि जिसकी लाठी, उसकी भैंस। कांग्रेस की सरकार ने 1995 में वक्फ बोर्ड और उनके पदाधिकारियों के पास एक लाठी थमा दी। 2013 में उस लाठी को तेल पिला दिया गया, और भी मजबूत कर दिया गया। इसका नतीजा क्या निकला? महोदय, अभी-अभी बताया गया कि इन

लोगों ने कितने लाख एकड़ जमीन एक्वायर कर ली। गरीब - वह चाहे किसी भी वर्ग का हो, ज्यादा गरीब - खास कर मुस्लिम समुदाय का ही सताया गया है, उसी मुस्लिम समुदाय की प्रॉपर्टी वक्फ में ली जाती है और वह बेचारा पहले बोर्ड में गया, वहाँ सुनवाई नहीं हुई, ट्रिब्यूनल में गया, वहाँ भी सुनवाई नहीं हुई, बोर्ड का फैसला बरकरार रहा, लेकिन हाई कोर्ट में - हमारे माननीय पार्लियामेंटरी मिनिस्टर ने सुबह ही बताया था कि पहले हाई कोर्ट में जाने का जो स्कोप था, वह सिर्फ revision और review का स्कोप था, it was very limited. जो कानून के ज्ञाता लोग हैं, वे इसके बारे में जानते हैं, लेकिन अब हाई कोर्ट में 90 दिनों के अंदर वह आदमी अपील कर सकता है। महोदय, रिविज़न के स्कोप में और अपील के स्कोप में जमीन-आसमान का फर्क हैं। महोदय, appeal में वह अपना डॉक्यूमेंट देगा, उसकी पूरी सुनवाई होगी और उसके बाद उसको पूरा न्याय मिलेगा।

मान्यवर, 1995 के एक्ट के बाद एक साल के अंदर सारी वक्फ प्रॉपर्टीज़ का सर्वे करना था और रिपोर्ट देनी थी, लेकिन आज तक कोई रिपोर्ट नहीं आई। वह रिपोर्ट क्यों नहीं आई? उस एक्ट के तहत एक सर्वे कमिश्नर थे, उन सर्वे कमिश्नर को सर्वे की पॉवर दी गई थी, लेकिन 2013 में उनके ऊपर वक्फ बोर्ड को बिठा दिया गया, सर्वे कमिश्नर को उनका सब-ऑर्डिनेट बना दिया गया और वक्फ बोर्ड सुप्रीम रहा।

मान्यवर, अभी हमारे एक वरिष्ठ अधिवक्ता के द्वारा कहा गया कि 1995 का जो existing law है, उसके तहत property नहीं बेची जा सकती है। 1995 के एक्ट में क्लियर प्रोविज़न है कि, The Waqf Board can alienate the property. एक सेक्शन नहीं, बल्कि 51, 52, 53 इन सभी सेक्शन्स में यह है कि वक्फ बोर्ड उस प्रॉपर्टी को alienate कर सकता है, बेच सकता है, सेटल कर सकता है और lease तो आम बात है।

मान्यवर, जहाँ देश में इतने लिटिगेशन्स हैं और किसी प्रॉपर्टी की कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं है, तब वह प्रॉपर्टी वक्फ के पास कहाँ से आई, उसका कुछ रिकॉर्ड नहीं है। वैसे केस में, अभी के बिल में clause 3 (a), 3 (b), 3 (c) में वक्फ प्रॉपर्टी का एक पोर्टल बनाना है, उसका एक डेटाबेस बनेगा, उसके पोर्टल पर सारी डिटेल्स रहेंगी। सारी प्रॉपर्टी की identification, boundaries, occupier की details, creator कि details, अगर कोई deed हो, तो वह चीज़ भी होगी। इस तरह से ये सारी चीज़ें उस पोर्टल पर रहेंगी। महोदय, वह इतना क्लियर होगा कि इससे litigation की संभावना भी कम होगी, लोगों को भी न्याय मिलेगा और किसी की ऐसी grievance भी नहीं रहेगी कि हमारी प्रॉपर्टी ली गई।

महोदय, गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी, जो आम जनता की प्रॉपर्टी है, हमारी प्रापर्टी है, आपकी प्रापर्टी है, हिंदू की प्रापर्टी है, मुसलमान की प्रापर्टी है, सभी की प्रापर्टी है, जो रिपोर्ट सामने आई है, उसमें दुनिया भर की गवर्नमेंट की प्रॉपर्टीज़, जो वक्फ ने कब्जा कर लीं, हथिया लीं, अब गवर्नमेंट की कोई प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड की या वक्फ की प्रॉपर्टी नहीं होगी। इस नए बिल के हिसाब से ऐसा प्रावधान है कि गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी, जो public property है, जो सबकी है, हमारी है, आपकी है, अब गवर्नमेंट की वह प्रॉपर्टी गवर्नमेंट के पास रहेगी, पब्लिक के पास रहेगी।

मान्यवर, अब registered deed से कोई भी वक्फ बोर्ड क्रिएट होगा और tribunal में डिस्ट्रिक्ट जज के लेवल के judicial officers रहेंगे। उसमें Joint Secretary level का अफसर होगा, कोई छोटा डिप्टी कलेक्टर की तरह का अफसर नहीं होगा। इससे लोगों को न्याय मिलेगा।

महोदय, मैंने बताया है कि इसमें अपील का प्रोविज़न भी बना दिया गया है और सेंट्रल गवर्नमेंट को rule-making powers दी गई हैं। यह बिल कितना न्यायपूर्ण है, अगर इसको देखा जाए, तो उसमें कहा गया है कि कोई भी रूल बनेगा - आज पार्लियमेंट में यह बिल पास होगा, इसके बाद अगर सेंट्रल गवर्नमेंट कोई रूल बनाएगी, तो उसको दोनों हाउस में पास कराना पड़ेगा। तभी जाकर वह रूल absolute होगा। कहा गया कि किसी भी डेमोक्रेसी की, किसी भी कांस्टीट्यूशन की रीढ़ की दो हड्डी होती हैं - पहली natural justice और उसके बाद दूसरी rule of law. इल्लिगल ढंग से, अतिक्रमण करके, वक्फ में जो प्रॉपर्टी हथिया ली, there is absolutely no rule of law. नेचुरल जस्टिस, जैसा अभी कहा गया - जो राजा कहे सो न्याय, जो बोर्ड ने कह दिया, जिस पर हाथ रख दिया, वह उसकी संपत्ति हो गई और उसके बाद कोई उसका कुछ कर नहीं सकता। पुराना, existing एक्ट है, यह उसके सेक्शन 40 में था। सेक्शन 40 को पूरी तरह इस बिल के द्वारा ओमिट कर दिया गया। मान्यवर, जितनी भी डेफिशिएंसीज़ थीं, वह सारी की सारी डेफिशिएंसीज़ खत्म कर दी गईं। बहुत से वक्ताओं ने कहा कि सबसे सुझाव नहीं लिए गए। 285 स्टेक होल्डर्स, 95 लाख से ज्यादा लोगों से सजेशन्स लिए गए। मान्यवर, पुराना एक्ट मेरे सामने है। इसमें भी Statement of Objects and Reasons में कहा गया है कि near consensus के बाद यह एक्ट पारित किया गया। ऐसा नहीं है कि पूरी तरह कन्सेंसस बना और जितने मुस्लिम, हिंदू थे, सबने राय दे दी कि अब यह absolute Act बना दिया जाए, तो नियर कन्सेंसस हुआ। हमारे यहां जितने ज्यादा लोगों से राय ली गई, जितने स्टेकहोल्डर्स से राय ली गई, तो मैं समझता हूं कि यह जो बिल है, इससे जो गरीब, पसमांदा, असहाय विधवा, मुस्लिम हैं, उनका जो रिलीजियस पर्पज़ है, वह सर्व होगा और उनको फायदा पहुंचेगा। मुझे नहीं लगता है कि हंगामा क्यों बरपा है, थोड़ी सी जो...

उपसभाध्यक्ष (श्री राजीव शुक्ला): पी ली है। ...(**व्यवधान**)...

श्री मनन कुमार मिश्र: सर, ऐसी स्थिति में हमने थोड़ा सा मुस्लिमों के लिए, उनके कल्याण के लिए कोई काम कर दिया, तो इतना हंगामा हो गया और इनको लगता है कि अब मुस्लिमों का सारा वोट इस सरकार को, भाजपा को और एनडीए को मिल जाएगा।

उपसभाध्यक्ष (श्री राजीव शुक्ला): थैंक यू, मिश्र जी।

श्री मनन कुमार मिश्र: इसीलिए बेचैनी है और यह पूरा देश समझ रहा है। पूरा देश इस बात को बखूबी समझ रहा है कि उस साइड में बेचैनी क्यों है। सरकार ने मुसलमानों के हक में कुछ काम कर दिया, तो उधर बेचैनी है। देश इस बात को समझ रहा है। आने वाले समय में हिंदू, मुस्लिम सब एक हैं और मुसलमानों का वोट भी अब भाजपा को ही मिलेगा, एनडीए को ही मिलेगा, यह बात तय है।

उपसभाध्यक्ष (श्री राजीव शुक्ला): धन्यवाद मिश्र जी। श्री जोस के. मणि।

SHRI JOSE K. MANI (Kerala): Sir, this nation founded on justice and fairness has always sought to protect the right of every community -- Hindus, Muslims, Christians, Sikhs, Jains, Buddhists, Parsis and others. Any undemocratic attempt to alter this delicate balance must be opposed, while necessary reforms to uphold the right of all citizens should be welcomed. By and large, I oppose this Bill and the overall intention of the Government to interfere with the religious affairs of the minorities. But my Party, Kerala Congress (M), acknowledges a positive aspect, the provision allowing Waqf Board decision to be challenged in the court of law. Currently, Waqf Boards in India operate with the extraordinary autonomy, possessing the power to designate any land. The issue is clearly evident in the Kerala Munambam case. Around 610 families who belong to various religious denominations now face the threat of losing their lands due to Waqf claims. These communities have lived peacefully for generations with legally registered land and paying legitimate taxes to the Government. Yet a unilateral claim by the Board has placed their homes and livelihoods at risk. This is not a legal issue, but it has become a human crisis. I was one of the first State Leaders in Kerala to visit Munambam to find out the ground reality.

9.00 P.M.

My Party, Kerala Congress (M), reaffirms its solidarity with the people of Munambam. I stand firmly with the religious leaders and bishops in opposing the unjust provisions in the original Act. Sir, currently regarding Munambam, the challenge against the Waqf claims are restricted to Waqf Tribunals, which often rule in favour of the Board. The amendment allows appeals to High Court, which would introduce a crucial layer of judicial review under clause 35 of the Amendment Bill.

Sir, I really anticipated that this Amendment Bill would include a provision to address the Munambam issue, but the proposed Amendment to the Waqf Act, in its present form, is prospective and provides no relief to the matters already pending before Tribunals and Courts. Without an express provision to extend the benefit of the Amendment to pending case, its intended remedial effect is lost. So, an immediate legislative intervention is required. I, therefore, urge this House to consider inserting a clear clause deeming all pending proceedings to have been instituted under the Amendment Act. This is in line with legislative precedents, such as Section 31 of the Recovery of Debts and Bankruptcy Act of 1993 and Section 15 of the Commercial Courts Act of 2015, both of which ensured pending cases were transferred and treated as instituted under the new law. Sir, yesterday in the Lok

Sabha, you had said that this Bill will not have the retrospective effect. Hence, I request the hon. Minister to give assurance in this House that the problems of Munambam and similar places would be solved in the light of the present Amendment. Again, I am asking the hon. Minister: Can you assure the House that this Amendment, which is prospective in nature, can solve the Munambam case? Please do not generalise. Can you clarify precisely? If your genuine intention is to address this matter, a retrospective provision should have been incorporated, as I mentioned instances of some of the earlier Bills, where it had been taken up in the new law also.

Sir, while I fully support the reforms aimed at preventing arbitrary land acquisition of Waqf Board, I strongly oppose provisions that allow non-Muslim members in Central Waqf Council and Waqf Board -- Clause 9 and Clause 11 of the Amendment Act. Such measures compromise the religious autonomy of Waqf institutions and set a concerning precedent for interference in religious governance. Just as Hindu temples and Christian institutions maintain their religious character in administration, the Waqf Board, established under Islamic law, should remain under the management of Muslim community.

Sir, I am concluding. The Bill also imposes unreasonable restrictions; for example, requiring a Muslim donor to have practised Islam for a minimum of five years to donate property. This arbitrariness limits an individual's fundamental right and raises concern over discrimination against minority donors. Let me conclude. All the laws in India should strive to achieve harmony among communities while safeguarding individual right. I reiterate that I support Clauses 20 and 35 of the Bill which safeguard the community properties from unilateral Waqf claims. I object to Clauses 9 and 11 of the Bill which are against the spirit of Right to Freedom of Religion enshrined in our Constitution. I again ask the Minister: Can you please confirm and reiterate that this Bill will be taken up with retrospective effect and will resolve the Munambam issue? Thank you.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI RAJEEV SHUKLA): Now, Dr. K. Laxman.

डा. के. लक्ष्मण (उत्तर प्रदेश): उपसभाध्यक्ष महोदय, आपका धन्यवाद कि आज आपने मुझे इस ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण विधेयक पर बोलने का अवसर दिया है। इसके लिए मैं हमारी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को भी धन्यवाद देता हूँ।

महोदय, जब लोक सभा में इस बिल का प्रस्ताव रखा गया, तब से हमारे विपक्ष द्वारा, कांग्रेस पार्टी द्वारा इस बिल के खिलाफ, इस माइनॉरिटी को, मुस्लिमों को भटकाने का प्रयास किया जा रहा है। कल से लेकर, हमारे आदरणीय गृह मंत्री और हमारे आदरणीय पार्लिमेंटरी

अफेयर्स मिनिस्टर और आज हमारे आदरणीय अध्यक्ष, नड्डा जी के द्वारा विस्तार से इस बिल के बारे में लोगों को बताने के बाद, आज काफी लोग खास तौर से, पसमांदा मुसलमान, गरीब मुसलमान, मोदी सरकार द्वारा यह जो बिल लाया गया है, इसके माध्यम से उनकी तरक्की होने वाली है, इसलिए वे खुश हैं। चाहे कांग्रेस हो या बाकी विपक्ष हो, ये उसे सहन नहीं कर पा रहे हैं।

(**सभापति महोदय** *पीठासीन हुए।*)

Coming to the Bill, this Waqf Amendment Bill is not only a legislative proposal. This Bill is for accountability, inclusivity and rational reform. There is a proverb which says: "Sunlight is the best disinfectant." Through this Amendment, the sunlight shines into the dark crevices of this mismanagement, and opacity, misuse, corruption and all these things are going to be curtailed. हिन्दी में भी कहावत है कि राख को ही चिंगारी बना दिया गया। आज वक्फ एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर किसी भी तरह का भ्रष्टाचार हो या land disputes हों या mismanagement हो, ये सब होने के बाद, बड़ी उम्मीद से, यह उम्मीद वाले बिल के ऊपर, खास तौर से मुस्लिम महिलाएं और गरीब मुस्लिम मोदी जी की सरकार की ओर देख रहे हैं।

आज इस चर्चा के अंदर बार-बार जो वक्फ की बात आती है, इस शब्द का जो उल्लेख किया जाता है, I would like to make it clear, as far as my knowledge goes, the word "Waqf" is not mentioned in the Quran. Waqf is not about the Islam religion. Waqf is about the Muslim society. Waqf is about properties, lands, management, income and expenditure. So, then, the fundamental question is, Waqf is a State subject or a religious subject. Should the Waqf Board come under Government or should it be under a religious body? So, the fundamental debate is before us in this Parliament now. We have been debating for the last two days whether it is a State subject or religious body. But this very same debate has been raging for centuries. In the Twelfth Century Egypt under a Muslim Dynasty, the Mamluk Dynasty, the state control of Waqf was objected by the Muslim clerics and jurists. But when the Turkish Muslim Ottoman Dynasty took over Egypt, it was decided that the Waqf should be under the control of state. हमारे अध्यक्ष, आदरणीय नड्डा जी ने भी उल्लेख किया कि आज काफी इस्लामिक देशों में भी Waqf management has been modernized, centralized and brought under the state control to ensure transparency, accountability and efficiency. We see countries like Turkey, Saudi Arabia, Kuwait, Jordan, Oman and Lebanon. They have exemplified their administration, there is state control. But during the Congress regime in 1995, when this Waqf Act was brought under Section 40, it puts Waqf above the Government and its revenue departments. Through Section 40, the then Government has brought it into the fold Waqf Tribunal decisions above the High Courts and Supreme Courts, thereby putting the Waqf above the Constitution of

India. जो संविधान की पुस्तक लेकर प्रचार करते हैं और ऐसा करके देश भर के लोगों को गुमराह करते हैं, उनसे मैं सीधा पूछना चाहता हूँ कि यह Constitution के above क्यों है? हम 60 साल से देख रहे हैं कि कांग्रेस केवल वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए, माइनॉरिटी वोट हासिल करने के लिए हिंदू और मुसलमान के बीच में एक नफरत की दीवार खड़ी कर वोट पाने की कोशिश कर रही है। आज मोदी जी की सरकार द्वारा इस माध्यम से एक ऐसा निर्णय लिया गया। आज जो चर्चा है, वह तीन मुद्दे पर है। The three most contentious issues, or rather made as contentious by some parties are: Section 40 of the Waqf Act, 1995; the issue of non-Muslims in Waqf Boards; and, the Waqf by user. When it comes to Section 40, if one respects Constitution, अगर संविधान के ऊपर इतना भरोसा है, then, there is no argument. Waqf cannot be above the courts or Judiciary. The Waqf Boards or Tribunals should naturally be under the control of the State and they should be answerable to the Judiciary. यह proper management of properties का मुद्दा है। इसकी देखरेख का मुद्दा है और इसके अंदर जो भी घपला हो रहा है, उसके बारे में यह मुद्दा है। Second is regarding non-Muslims on Waqf Boards. If Waqf Boards are a State subject and India is a secular country, then, the State has no specific religion. Then, non-Muslims can also be on the Board, once it comes under the state control. हमारे विपक्ष के नेता और खास कर मैं जिस प्रांत से आता हूँ, हैदराबाद, तेलंगाना के हमारे मजलिस नेता बार-बार यही सवाल उठाते हैं। आज सदन में भी कई लोगों के द्वारा तिरुपति मंदिर के बारे में या हमारे दक्षिण के मंदिरों के बारे में या तमिलनाडु के मंदिर के बारे में बार-बार यह पूछा जा रहा कि क्या इन मंदिरों में non-Hindu रह सकता है? हमारे आदरणीय वित्त मंत्री, निर्मला सीतारमण जी ने इसके बारे में खुलासा किया। आप तिरुपति के बारे में बार-बार जिक्र कर रहे हैं, इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि तिरुपति एक धर्म संस्था है। Tirupati again comes under the control of Endowments Department. Endowments Department is again under the control of the State administration. Endowments के अंदर एक ही धर्म के लोग नहीं रहते हैं। मैं बताना चाहता हूँ कि Tirumala Tirupati Devasthanams (TTD) है। हमारे जो legal luminary कहलाते हैं, आज वे भी बता रहे थे कि तिरुपति के पास lakhs of acres जमीन हैं। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि तिरुपति के अंदर टीटीडी के माध्यम से सिर्फ हिंदू हित के लिए काम नहीं हो रहे हैं, बल्कि आज जो स्कूल्स हैं, कॉलेजेज़ हैं, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स हैं, हमारे श्रद्धालु जो करोड़ों रुपए देते हैं, उसको टीटीडी के माध्यम से इनके लिए खर्च करते हैं। इन स्कूलों, कॉलेजों में सिर्फ हिंदुओं का ही एडमिशन नहीं होता है। इन हॉस्पिटल्स में सिर्फ हिंदुओं का ही इलाज नहीं किया जाता है, लेकिन बार-बार इसके बारे में जिक्र किया गया। कल मैंने सदन में सुना था, सत्य साईं बाबा टेंपल के बारे में चर्चा हुई थी। सत्य साईं बाबा टेंपल का भी एक ट्रस्ट है। इस ट्रस्ट के माध्यम से हजारों करोड़ रुपए आंध्र प्रदेश के अंदर अनंतपुर हो, महबूबनगर हो, ऐसे जिलों में हजारों करोड़ रुपए खर्च करके वहाँ के लिए पीने के पानी की सुविधा की गई। यह सत्य साईं बाबा ट्रस्ट के माध्यम से किया गया। Again, this Trust comes under the control of State. So, we should try to understand that there is a difference between a Waqf Board and Waqf Tribunal और धर्म संस्था। तीसरा मुद्दा 'Waqf by Users' है। कल गृह मंत्री जी भी उस सदन में बताए कि बिना

कोई डॉक्युमेंट के, बिना कोई कागज के, चूँकि हम इसको यूज कर रहे हैं, इसलिए यह वक्फ होना चाहिए। हम जो भी बिना document के इस्तेमाल करते हैं, आज इस बिल के माध्यम से उसके documentation के बारे में, legal support के बारे में और evidence के बारे में पूछा गया है और उसके ऊपर भी लोग चर्चा कर रहे हैं।। would like to give an example. तमिलनाडु के बारे में बार-बार बोला जा रहा है। The tragedy of Thiruchendurai village in Tamil Nadu is a glaring example. A farmer named Rajagopal tried to sell his land, only to be told that the Tamil Nadu Waqf Board had claimed ownership of not just his plot, but the entire village including the 1,500 year old Sundareswarar Temple. There was no single Muslim residing in that village. There was not even a masjid at all. They brought the entire village into the waqf. A 20 page letter was sent by the Waqf Board saying that the village belonged to the Waqf Board. I ask this House: Is the Waqf Board above the Constitution? क्या वक्फ बोर्ड संविधान के ऊपर है? एक पूरे गांव को और जो मंदिर है, उसको भी endowments में लाया गया। इसीलिए, मोदी जी की सरकार नये भारत को सोचकर संविधान के माध्यम से बोर्ड लाने के लिए इस तरह से प्रयास कर रहे हैं। इसके अलावा, transparency and accountability के लिए एक centralized online portal बनाया गया है। वर्ष 2006 में, कांग्रेस के जमाने में सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आई। इस सच्चर कमेटी को कांग्रेस सरकार ने गठित किया था। इसकी रिपोर्ट में कहा गया था - Annual income from 4.9 lakh registered properties of waqf is only Rs.163 crores annually, that is, on an average 2.7 per cent return per annum! यह है उनकी 163 करोड़ रुपये की संपत्ति, जो सिर्फ गरीब मुसलमानों के लिए है! And not only that, Sachar Committee had made it very clear that with efficient management and marketable use, these properties can generate a return of not less than Rs.12,000 crores per annum in 2006. अगर हम आज की बात सोचें, तो वक्फ बोर्ड के लिए यह कई हजार करोड़ का प्रावधान हो सकता है। आज 2025 में, यह पोर्टल के माध्यम से 9.94 लाख बताया जा रहा है। हमारे मजलिस के नेता, जो हैदराबाद के हैं, वे भी वहाँ के सदन में थे। तब वे भी विधायक थे और मैं भी विधायक था। वे एमएलए के नाते सरकार से ऐसा प्रश्न करते थे। तेलंगाना के अंदर जो 77,538 एकड़ लैंड है, उसमें 57,000 एकड़ waqf land पूरा encroach किया गया है और बताया गया कि उसको land grabbers ने encroach किया है। इतना ही नहीं, यही AIMIM MLA demanded a judicial inquiry on Waqf Board activities of encroachment of land, irregularities in Telangana waqf properties, corruption, missing records and illegal allotments by the Waqf Board. Not only that, he demanded for Rs.100 crore for a separate Waqf Protection Cell to be constituted. जब आपको वक्फ बोर्ड पर इतना विश्वास है, then why did you demand for a judicial enquiry? आज ये सदन के बाहर क्या बात करते हैं, यह आपको पता है।

इतना ही नहीं, आज जो 1.2 lakh crore की संपत्ति मिल रही है, उसके बारे में भी ज्यादा कर सकते हैं। इतना ही नहीं, Pasmanda, Shia, Sunni, Bora, Aghanis, इन सब लोगों के लिए जो प्रावधान दिया गया है, उसके लिए आज इसमें जिक्र किया गया है। ...(**समय की घंटी**)... यहां काफी लोगों ने उत्तर प्रदेश का भी जिक्र किया। उत्तर प्रदेश के अंदर भी आज मोदी जी और डबल

इंजन सरकार के माध्यम से 23 करोड़ की आबादी में 15 करोड़ लोगों को निःशुल्क राशन और गरीब कल्याण योजनाएं पहुँचाई जा रही हैं, लेकिन उसमें कोई भेदभाव नहीं है। आज संसद में भी हमारे सांसदों ने बताया कि किस तरह मुस्लिम्स भी उनसे लाभान्वित हो रहे हैं। इस तरह, मोदी जी की सरकार के अंदर कोई भेदभाव नहीं है। तेलंगाना के अंदर बहुत ज्यादा disputed lands हैं। Out of 77,530 acres, 74 per cent of the land are disputed, उन पर आज केस चल रहे हैं। आज केसेस में है, इसलिए आज ताज्जुब होता है कि आज जो हैदराबाद के अंदर बड़ा एयरपोर्ट जो बनाया गया, ये कांग्रेस Rajiv Gandhi International Airport के माध्यम से - आज उस GMR के नाम पर जो एयरपोर्ट है, उसमें 1,100 एकड़ आज वक्फ लैंड का दिखाया जा रहा है। जो सरकार का लैंड एयरपोर्ट के लिए दिया गया, उस सरकारी लैंड को भी आज 1,100 एकड़ वक्फ के माध्यम से मांग की जा रही है। ...(**समय की घंटी**)...

होटल हयात, जो हैदराबाद के अंदर फाइव स्टार होटल है, वह भी वक्फ लैंड दिखाया जा रहा है। आज हैदराबाद के अंदर Hotel Marriott भी इसी तरह दिखाया जा रहा है। इसलिए, आज मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि ये वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए लोगों को गुमराह करके, एक भ्रम फैलाकर, बीजेपी के खिलाफ माइनॉरिटी को खड़ा करके जो कोशिश कर रहे हैं, वह न करें।

आज ज़रूर इस बिल के माध्यम से गरीब मुसलमानों, गरीब महिलाओं, विधवाओं और पसमांदा मुसलमानों को लाभ होगा। इसलिए, मैं इस बिल का समर्थन करता हूं और पूरा सहयोग देता हूं। बहुत-बहुत धन्यवाद।

MR. CHAIRMAN: Thank you. Now, hon. Leader of the Opposition, Shri Mallikarjun Kharge.

श्री मल्लिकार्जुन खरगे: सर, आपने मुझे इस बिल पर चर्चा करने के लिए विशेष मौका दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मेरी किस्मत अच्छी है कि मुझे सुनने के लिए यहां गृह मंत्री जी भी मौजूद हैं। लेकिन वे गुफ्तगू कर रहे हैं, मैं उनको disturb नहीं करना चाहता हूं कि ...(**व्यवधान**)... वे सुन रहे हैं। उनके कान सुनने के लिए है, और आंख देखने के लिए है। वे सब तरफ देखते और सुनते हैं, नहीं तो होम मिनिस्ट्री कैसे चलाते, ...(**व्यवधान**)... सर, मैं ज़्यादा बात नहीं करना चाहता हूं, यहां घंटों से चर्चा हो रही है। आपने मुझे जो भी 10-15 मिनट का समय दिया है, मैं उसी में अपनी बात समाप्त करूंगा। सर, यह Waqf Board Amendment Bill के बारे में सारे देश में एक ऐसा माहौल बना है कि minorities को तंग करने के लिए यह बिल लाया गया है। अगर 1995 Act की तुलना में कोई बहुत बदलाव होते, तो हम मान लेते, लेकिन वहां जो है, वही इसमें डाल दिए और जो नहीं डालना चाहिए, वह भी डाल दिया। मेरे पास comparative statement है। अगर मैं इस पर detail में बोलता जाऊं, तो बहुत वक्त लगेगा। मैंने ये तीन column बनाए हैं, पहले formation क्या था, बीच में 1995 में क्या था और अब इन्होंने उसमें क्या बदलाव किया है। मैं आपके सामने ऐसी सारी चीज़ें रखने की कोशिश नहीं करूंगा, क्योंकि समय सीमित है और आपको बिल को पास भी करना है। इसलिए जो इतने लोग oppose कर रहे हैं, even लोक सभा में भी आपने सबसे मिल कर इसको पास कराने के लिए जो कोशिश की, तो यह बिल पास हुआ। इसके पक्ष में 288 वोट पड़े और विरोध में 232 वोट पड़े। यानी सभी लोगों ने इसको accept किया

है? इसका मतलब यह है कि इसमें कमियां हैं, खामियां हैं, आपको यह देखना चाहिए। हम जो करते हैं, वही सही है। अगर हम जिसकी लाठी, उसी की भैंस करते गए तो यह किसी के लिए ठीक नहीं होगा।

दूसरी बात यह है कि यह एक donation का बिल है। यह कोई और तरीके से पैसे लाने के लिए या पैसे जमा करने के लिए नहीं है। यह जो दान देता है या कोई इसको डोनेट करता है, वह मुसलमान हो सकता है, क्रिस्चियन हो सकता है, हिंदू हो सकता है, सिख हो सकता है, लेकिन ये सारी चीज़ें ध्यान में रखकर करने के बजाय आपने इसको अलग तरीके से देखकर जो माइनॉरिटीज़ के हकूक है, उस हकूक को छीनने की कोशिश की है और दूसरी तरफ अभी कई वक्ताओं ने, जो भी उधर से बोलते हैं, पसमांदा को और महिलाओं को ठीक करने के लिए कहा है। आपने क्वेश्चन का आंसर दिया है। यानी आपने माइनॉरिटीज़ को कितने पैसे एलॉट किए और कितने खर्च किए? इसके आधार पर अगर मैं कहूं, तो आपको भी ताज्जुब होगा। इन्होंने पांच साल में 18,274 करोड़ रुपये का एलोकेशन किया। जिसमें से 3,574 करोड़ रुपये खर्च नहीं हुए। इनकी गरीबों के लिए सोच है, वह इससे मालूम हो जाती है। उसमें और भी बजट कम करते गए। 2019-20 में 4,700 करोड़ रुपये रखे थे, वे भी खर्च नहीं किए। उसमें 194 करोड़ रुपये बाकी रखे। 2020-21 में 4,005 करोड़ रुपये रखे और फिर उसमें भी अनस्पेंड मनी छह करोड़ रुपये थी। 2021-22 में 4,346 करोड़ रुपये में 21 करोड़ रुपये अनस्पेंड है। 2022-23 में 2,612 करोड़ रुपये में से 775 करोड़ रुपये अनस्पेंड है। फिर 2023-24 में 2,608 करोड़ रुपये थे और अनस्पेंड 1,576 हैं। टोटल 18,274 में से 3,574 अनस्पेंड मनी है। एक तो 4,700 से घटाते-घटाते आप 2,608 करोड़ रुपये पर आए। क्या यही है कि आप माइनॉरिटी के साथ, गरीबों के साथ भलाई करेंगे? एक तरफ बजट काट रहे हैं, दूसरी तरफ आप बजट को खर्च नहीं कर रहे हैं। यह दर्शाता है कि आप माइनॉरिटी को इकोनॉमिकली डेवलपमेंट करने के लिए या उनको एजुकेशन या हर तरीके की सहूलियत देने के लिए आप तैयार नहीं हैं, इससे यह मालूम होता है। आपने पहले बजट में बताया था, तो उनकी पांच स्कीम्स को बंद कर दिया। पहला, Maulana Azad National Fellowship, Interest Subsidy Scheme for education loans बंद कर दिया, Free Coaching and Allied Scheme बंद कर दिया, 'Nai Udaan' -Support for students को बंद कर दिया, उसके बाद Scheme for Providing education in Madrasas/Minorities को भी बंद कर दिया। ये सब स्कीम्स आप एक तरफ बंद कर रहे हैं, दूसरे तरफ बोलते हैं कि गरीबों के लिए, महिलाओं के लिए, पसमांदा मुसलमानों के लिए कर रहे हैं। आप कम से कम इसको रिव्यू कीजिए। हर साल आपका बजट होता है, आपका financial target होता है, उसी के साथ physical target होता है। आप देखने वाले नहीं हैं, लेकिन बातें तो बड़ी-बड़ी करते हैं और बड़ी बातें करने वालों के लिए मुझे ऐसा लगता है कि ज्यादा [£] बोलने वाले लोग ...(**व्यवधान**)...

श्री सभापतिः यह नहीं बोलिए, it is deleted.

श्री मल्लिकार्जुन खरगेः सत्य न बोलने वाले लोग...(**व्यवधान**)...

[£] Expunged as ordered by the Chair

श्री सभापतिः यह भी नहीं चलेगा। सत्य न बोलने वाले कर दीजिए। ...(**व्यवधान**)...

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री पीयूष गोयल): महोदय, वही बात हो जाएगी, जहाँ से आज का दिन शुरू हुआ था? ...(**व्यवधान**)...

श्री सभापतिः माननीय पीयूष गोयल जी, घनश्याम तिवाड़ी जी की अध्यक्षता में जो एथिक्स कमेटी है, वह इसको एग्ज़ामिन कर रही है। इसका कोई रास्ता निकालना पड़ेगा, पोलिटिकल पार्टीज़ को भी सोचना पड़ेगा कि उनके सदस्यों का आचरण ऐसा हो जाए, तो कैसे काउंसलिंग की जाए, क्या नतीजा निकले। माननीय लीडर ऑफ दि अपोजिशन, आप बोलिए।

श्री मल्लिकार्जुन खरगेः सर, इन्होंने 1995 एक्ट को सर्वसम्मति से स्वीकार किया था, लेकिन आज ये ही लोग कहते हैं कि वह ठीक नहीं है, हम नया कानून बना रहे हैं। वे गरीबों के लिए माइनॉरिटीज़ के लिए बना रहे हैं, तो उसके बाद, उनके जो भी लीडर्स हैं - मैं उनका नाम पढ़ सकता हूं, लेकिन इसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि इससे पहले हमारे नासिर साहब ने बता दिया है कि पार्लियामेंट में कौन सपोर्ट करेगा, राज्य सभा में कौन सपोर्ट करेगा। महोदय, इनके लोग प्रेज़ेंट थे। आपने स्वीकार किया, यह बात रिकॉर्ड पर है, लेकिन आप फिर भी इसके लिए यह कहना चाहते हैं कि हम नया लेकर आए। महोदय, इसमें नया कुछ नहीं है, except आपने लोगों को तबाह करने के लिए जो क्लॉज़ेज डाल दी हैं – आपने वह किया है। महोदय, अब देखिए कि Survey Commissioner and Additional Commissioner appointed to conduct the preliminary survey of wakf properties. आपने उसमें क्या कहा है? "Replace the Survey Commissioner with the Government officer above the rank of Collector." यानी कलेक्टर के हाथ में दी है, तो elected democracy में elected members ठीक हैं न सर? महोदय, elected members को निकालकर - वे all Muslims elected members रहते हैं, लेकिन अब all nominated! यानी सत्ता अपने हाथ में लेने के लिए आप यह बात कर रहे हैं। इसीलिए इनकी intention ठीक नहीं है, इनका इरादा ठीक नहीं है। ये Wakf Board की properties को जमा करके, इसका एक land bank बनाकर किस बड़े बिज़नेसमैन को देते हैं, कॉरपोरेट को देते हैं - इसके बारे में मुझे मालूम नहीं है, क्योंकि यह अभी बाहर नहीं आया है। अब गवर्नमेंट के ही असेट बेच रहे हैं, all public sectors बेच रहे हैं। आप यह छोड़िए, मुफ्त में मिला, तो बफे सिस्टम के जैसे सबको खिलाएंगे, जो पहले आएगा, वह खा लेगा। ये अडाणी, अंबानी जैसे लोगों को खिलाएंगे। ...(**व्यवधान**)... सर, ऐसा ही है। अब किरेन जी ने बफे सिस्टम रखा है, तो वहाँ पर जो पहले जाएगा, वही अच्छा खाना खाएगा, अगर हम लास्ट में पहुंचेंगे, तो कुछ भी नहीं बचा रहेगा। महोदय, इनका ऐसा ही है। ...(**व्यवधान**)...

श्री पीयूष गोयलः महोदय, इतने प्यार से सबको खिलाया है, लेकिन उसके बाद यह सुनकर बहुत दुख होता है।

श्री प्रमोद तिवारीः महोदय, अगर एलओपी बोल रहे हैं, तो इस तरह से बीच-बीच में डिस्टर्ब करना ठीक नहीं है।

श्री मल्लिकार्जुन खरगेः सर, एक और बात है कि पहले जो प्रोविज़न था, 'Government property identified as waqf remains waqf' - पहले यह था, लेकिन अब क्या कर दिया है? अब 'Government property identified as waqf will no longer be considered waqf. The District Collector will determine ownership in case of uncertainty and update revenue records who reports to the State.' सर, कलेक्टर यह कैसे करेगा? क्योंकि all revenue lands उसके हाथ में रहता है और अगर वही, वहाँ पर इसका न्याय करने के लिए बैठेगा, तो naturally Collector अपने favour में निर्णय करेगा, न कि Waqf Board के फेवर में करेगा। इसीलिए इसको देखना चाहिए। जो जजमेंट देने वाला है, वह खुद ही पार्टी है। ये सारी चीजें इसमें हैं। दूसरी बात, पहले MPs, former Judges and eminent persons, appointed to the Central Waqf Council, must be Muslims. अब क्या किया - MPs, former Judges and eminent persons appointed to the Central Waqf Council need not be Muslims and two members must be non-Muslims. इसमें non-Muslims क्यों ला रहे हैं? मैं पूछता हूं कि तिरुपति में जो ट्रस्ट है, क्या उसमें आप किसी मुस्लिम को शामिल करते हैं या जो राम मंदिर का ट्रस्ट है, क्या उसमें किसी मुस्लिम को शामिल करते हैं? मुस्लिम तो छोड़ो, मैं हिंदू हूं, मेरे जैसे दलित समाज के लोगों को भी उस ट्रस्ट में नहीं रखते हैं। इतने मंदिर हैं, इतनी संस्थाएं हैं, क्या कहीं भी शैड्यूल्ड कास्ट के लोगों को रखते हैं? मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा और चार-पांच मिनट में ही अपनी बात खत्म कर दूंगा। ...(**व्यवधान**)... सर, ये देखिए, ये लखनऊ के हैं और इनके सब नेबर्स मुस्लिम हैं। कम से कम इनको प्रोटेक्ट करना चाहिए। ...(**व्यवधान**)... सर, अब क्या कर दिया कि मुसलमानों को निकाल दिया और नॉन-मुस्लिम्स को डाल रहे हैं। क्या आप यही चीज़ हिंदुओं के लिए करते हैं? क्या यही चीज़ सिखों के लिए करते हैं या जैनियों के लिए करते हैं? बुद्धिस्ट को आज डिवाइड कर दिया। हर जगह, जो जिस फेथ में विश्वास रखते हैं, उस फेथ के लोगों को ही वहां मेंबर बनाया जाता है। बोध गया में आज झगड़ा चल रहा है। बोध गया गया में बुद्धिस्ट लोगों को वापिस दो, यह दुनिया के लोगों का कहना है, सिर्फ इस देश के लोगों का ही कहना नहीं है। जापान, चीन, कंबोडिया, थाईलैंड, म्यांमार, श्रीलंका ये सब बोलते हैं, तो वहां पर आप न्याय नहीं देते हैं। आप हर चीज़ में दूसरी तरफ घुस रहे हैं। मुसलमानों को तंग करने के लिए हर चीज में आप हाथ डाल रहे हैं।

तीसरी चीज़, मैं आपसे कहना चाहता हूं इसमें at least दो विमेन पहले से ही थीं। अब आपने ऐसी कौन सी बहादुरी की या कौन सा ऐसा काम किया कि आप इसमें दो महिलाओं को शामिल करेंगे। वह भी क्या है - Actual number of non-Muslim members could be significantly higher, potentially even forming the majority. ये चीज़ें जो कर रहे हैं, ये अच्छी नहीं हैं। इससे देश में झगड़ा होता है। आप यह झगड़े का बीज डाल रहे हैं। अगर आप मुसलमानों को दबाने की कोशिश करेंगे, तो यह नहीं हो सकता है। आप मिट्टी में उनको दबाने की कोशिश करेंगे, वे बीज हैं और मिट्टी से फिर उगते हैं, फिर ग्रो होते हैं। फिर आपको ही यह सुलझाना पड़ता है। मैं अपने होम मिनिस्टर से अपील करूंगा कि आप इसको विदड्रॉ कर लीजिए। आप इसे प्रेस्टीज

इश्यू मत बनाइए। अगर गलतियां हैं, तो उनको सुधारने में क्या है। अगर ठीक नहीं है, तो सही करने में क्या है। हम इस देश के संविधान में बहुत बार अमेंडमेंट लाए हैं।

श्री सभापतिः थैंक यू।

श्री मल्लिकार्जुन खरगेः इसे विदड्रॉ करना ठीक है। यह मुसलमानों के लिए अच्छा नहीं है और कांस्टीट्यूशन के खिलाफ है। कांस्टीट्यूशन ने सबको आजादी दी है। इसके बावजूद freedom of expression नहीं है, freedom of property नहीं है। दान दिया, तो उसे रख नहीं सकते। ये चीजें करना समाज के लिए ठीक नहीं है और जो शांति और सौहार्दता इस देश में है, आप उसको कायम रखने की कोशिश करिए, उसको छेड़ने की कोशिश मत करिए। सर, एक मिनट, last में मैं इतना बोल कर खत्म कर देता हूँ, मैं एक शेर सुनाना चाहता हूँ।

"नजर नहीं है, नजारों की बात करते हैं,
जमीं पे चाँद-सितारों की बात करते हैं,
वो हाथ जोड़ कर बस्ती को लूटने वाले,
भरी सभा में सुधारों की बात करते हैं।"

श्री सभापतिः श्री संजय कुमार झा।

श्री मल्लिकार्जुन खरगेः सर, पूरा बोलने दीजिए।

श्री सभापतिः अच्छा, पूरा नहीं हुआ!

श्री मल्लिकार्जुन खरगेः सर, यह शेर पूरा होने दीजिए।

"वो हाथ जोड़ कर बस्ती को लूटने वाले,
भरी सभा में सुधारों की बात करते हैं।
बड़ा हसीन है उनकी ज़ुबान का जादू,
लगा के आग बहारों की बात करते हैं।
मिली कमान तो अटकी नजर खजाने पर, जमीन पर लगी,
नदी सुखा कर किनारों की बात करते हैं।
वे ही गरीब बनाते हैं आम लोगों को,
वे ही नसीब के मारों की बात करते हैं।"

इसलिए मैं यह कहता हूँ कि कम से कम अब तो शाह साहब सुनें और सुनने के बाद कम से कम इसको वापस लें, कोशिश करें।

श्री सभापतिः श्री संजय कुमार झा।

श्री संजय कुमार झा (बिहार)**:** माननीय सभापति महोदय, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, जो आपने इतने महत्वपूर्ण वक्फ संशोधन विधेयक पर मुझे बोलने का अवसर दिया है।

[**उपसभाध्यक्ष (सुश्री इंदु बाला गोस्वामी)** *पीठासीन हुईं।*]

मैडम, जब यह संशोधन बिल आया था, तब जरूर एक संशय की स्थिति हुई। नीतीश कुमार जी हमारे मुख्य मंत्री हैं। उनके पास भी, जो मुस्लिम समाज के लोग हैं, उनकी धार्मिक संस्थाओं के लोग हैं, वे लोग मिलने के लिए आए। यह भी चर्चा हुई कि इस साल बिहार में चुनाव है, तो बिहार में क्या होगा। जब वे उनसे मीटिंग के लिए आए, तो मैं भी उस मीटिंग में था। उन्होंने अपनी concern बताई कि उनकी क्या concern है। उन लोगों ने पार्टी के स्तर पर भी बताई और सरकार के स्तर पर भी मुख्य मंत्री जी से मिल कर अपनी concern बता दी। उनकी main concern यही थी कि उनकी जो धार्मिक संस्थाएँ हैं, चाहे मस्जिद हैं, चाहे ईदगाह हैं, चाहे कब्रिस्तान हैं, उन सब पर इसका क्या असर पड़ेगा? क्या उन पर retrospective impact पड़ेगा? क्या वे खतरे में आ जाएँगे? जेपीसी में जो हमारे मेम्बर थे, उन्होंने भी जाकर यह बात रखी। कल आदरणीय गृह मंत्री जी का लोक सभा में भाषण हुआ। मैं उनको इसके लिए धन्यवाद देता हूँ कि ये जो गलतफहमियाँ और भ्रांतियाँ फैलाई जा रही थीं कि आपकी मस्जिद, आपकी ईदगाह, आपके कब्रिस्तान के ऊपर खतरा हो जाएगा, कल बात बिल्कुल साफ हो गई। कल रात से ही या आज सुबह से ही, खास करके मुस्लिम समुदाय के जो लोग हैं, उन्होंने कहा कि उन लोगों को यही लग रहा था, क्योंकि उनके बीच में यही फैलाया जा रहा था, लेकिन इस भाषण को सुनने के बाद बात साफ हो गई। उन्होंने कल बताया कि जैसे CAA को लेकर उनके बीच में यही फैलाया जा रहा था, उसी तरह से अभी फैलाया जा रहा था कि आपके जितने इदारे हैं, जितनी मस्जिदें हैं, वे खतरे में आ जाएँगी। बिहार में बिहार सरकार ने और हमारे मुख्य मंत्री जी ने पिछले 19 साल में बहुत सारे कब्रिस्तानों की घेराबंदी की है। वहाँ पर हजारों कब्रिस्तानों की घेराबंदी सरकार के द्वारा की गयी है। उन लोगों ने कहा कि आपने जो यह काम किया है, इससे उसी पर खतरा आने वाला है। लेकिन कल बिल्कुल साफ हो गया कि जो confusion फैलाने की कोशिश की गई थी, वह बात वहाँ पर बिल्कुल नहीं है। जब बिल लागू हो जाएगा, उसके बाद जो परिस्थिति बनेगी, उस पर वह लागू होगा। पुरानी जो भी स्थिति है, वह बरकरार रहेगी।

मैं एक और बात कहना चाहता हूँ कि बिहार अकेला स्टेट है, जिसने जातीय गणना की है। जातीय गणना में बिहार में मुस्लिम समाज के पसमांदा मुसलमान 73 परसेंट है। अब हमारे पास तो scientific data है, caste का latest survey है। उसमें कौन लोग हैं? उसमें राईन समाज के लोग हैं, अंसारी समाज के लोग हैं, मंसूरी समाज के लोग हैं। आज तक इस वक्फ में उनको कोई representation नहीं दिया गया था। इसमें उनका एक भी representation नहीं था। पहली बार आप लोग जिस पसमांदा समाज पर चर्चा कर रहे हैं, वह पसमांदा समाज बिहार में अति पिछड़ा समाज है और वहाँ उनकी majority है। उनकी population दो-तिहाई है। उनको पहली बार इसमें जगह मिली है और अब इसमें उनके भी representatives रहेंगे। उसी तरह से महिलाओं को ले

करके जो बात आयी है कि इसमें महिलाओं का भी स्थान रहेगा, तो मुझे लगता है कि यह बहुत ही प्रोग्रेसिव है। खास करके मैं जिस एरिया से आता हूँ, मुझे आज ही किसी ने फोन किया। हम लोगों के पास बहुत सारे केसेज़, as political representative, आते हैं। वक्फ से रिलेटेड आपस में जो डिस्प्यूट्स होते हैं, खास करके जिस एरिया से मैं आता हूँ, वहां पर होते हैं। मैक्सिमम डिस्प्यूट्स इसलिए होते हैं कि ऐसी कोई प्रॉपर्टी आयी, तो लोग उसको बेच खाते हैं, दुकान का 90 परसेंट किराया खा जाते हैं और उस चैरिटी का जो एक्चुअल परपज़ है, वह जमीन तक नहीं पहुंच पाता है। मुझे लगता है कि इस बिल के आने से, इसमें जो सुधार हुआ है, उससे निश्चित रूप से जिस परपज़ के लिए लोग चैरिटी करते हैं, दान करते हैं, वक्फ करते हैं, उसका लाभ सही लोगों को और खास करके पसमांदा लोगों को मिलेगा। आज सभी लोग पसमंदा पर बात कर रहे हैं। पसमांदा समाज में बहुत खुशी है। बहुत सारे फोन कॉल्स हम लोगों को आ रहे हैं। उन लोगों को लग रहा है कि प्रधान मंत्री जी जो बोलते हैं, अब एक्चुअल में उनको इस वक्फ एक्ट के थ्रू फायदा होगा। उनका जो समाज है, उसमें हमने अभी तक नहीं देखा है कि बिहार में ऐसा कोई हॉस्पिटल, ऐसा कोई स्कूल, ऐसा कोई चैरिटी का काम वक्फ के पैसे से किया गया हो। अब पहली बार वहां के उन लोगों को लग रहा है कि एक बार जब यह कानून लागू हो जाएगा, तो ट्रू सेंस में उन गरीब मुसलमानों के बीच में काम होगा। यह एक मैसेज, एक narrative गया है और जो भ्रांतियां थीं, वे भी खत्म हुई हैं। मैं एक बात जरूर अपनी पार्टी के तरफ से कहना चाहता हूँ कि जब वहां पर हम लोगों की सरकार बनी, उससे पहले – यहां कांग्रेस के लोग भी बैठे हुए हैं। बिहार का सबसे बड़ा दंगा भागलपुर में हुआ था। वहाँ सबसे बड़ा दंगा हुआ था, जिसमें हजारों लोग मारे गए थे। पता नहीं, शायद नए लोगों को ध्यान नहीं हो। वहां 15 साल आरजेडी और कांग्रेस की सरकार रहा, लेकिन उस दंगे के मामले में लोगों को न्याय नहीं मिला। ...(**व्यवधान**)... उन 15 सालों में उसकी जांच नहीं हुई। ...(**व्यवधान**)... 15 सालों में उस दंगे की जांच नहीं हुई। .(**व्यवधान**)... उन 15 सालों में उस दंगे की कोई जांच नहीं हुई। जिन्होंने दंगा कराया था, उनको सम्मानित किया जाता था। ...(**व्यवधान**)... उनको सम्मानित किया जाता था। ...(**व्यवधान**)... जब हमारी सरकार आई, तो 2006 में कमीशन बैठा करके, जो दंगा करने वाले लोग थे, उनको पनिशमेंट दी गई और मुस्लिम समाज के लोगों को ...(**व्यवधान**)...

प्रो. मनोज कुमार झा (बिहार): महोदया, ...(**व्यवधान**)...

उपसभाध्यक्ष (सुश्री इंदु बाला गोस्वामी): माननीय सदस्य, कृपया बैठ जाएँ। ...(**व्यवधान**)... मनोज झा जी, कृपया बैठ जाएँ। ...(**व्यवधान**)... संजय जी, आप बोलिए।

श्री संजय कुमार झा: हमने उनको सजा दिलवाई। हमारी सरकार में सजा दिलवाई गई। सिर्फ सजा ही नहीं दिलवाई, जैसे 84 के राइट्स में यहां सिख समुदाय को compensation मिला, उनको monthly पैसा मिलता है, इस सरकार ने, जो एनडीए की सरकार है ...(**व्यवधान**)...

एक माननीय सदस्य: वह भी कांग्रेस ने दिया नहीं दिया था, मोदी जी ने दिया है। ...(**व्यवधान**)...

श्री संजय कुमार झाः हां, कांग्रेस ने नहीं दिया था, मोदी जी ने दिया है। **...(व्यवधान)...** हां, 84 राइट्स का भी compensation मोदी जी ने ही दिया है। **...(व्यवधान)...** वह अब जाकर, वहां के उस समुदाय के जो लोग हैं, उनको मिला है। कल सही में गृह मंत्री जी ने जो एक वीडियो का क्वोट किया था, जो हमारे बिहार के पूर्व मुख्य मंत्री रहे, यह उन्हीं का लोक सभा में बयान है। **...(व्यवधान)...** यह उन्हीं का लोक सभा में बयान है कि वहां कैसे उन्होंने कहा कि एक कठोर कानून लाने की जरूरत है, जिस हिसाब से वहां पर लोगों ने वक्फ पर कब्ज़ा किया हुआ था। **...(व्यवधान)...**

गृह मंत्री; तथा सहकारिता मंत्री (श्री अमित शाह): मान्यवर, मैंने कल जो कहा, उसके बारे में संजय झा जी के द्वारा बोलने में थोड़ी गलती हुई है। **...(व्यवधान)...** संजय झा जी, वह लोक सभा में श्री लालू प्रसाद यादव का रिकॉर्ड पर दिया गया बयान है, जो लोक सभा के दस्तावेज से उत्पन्न है। **...(व्यवधान)...** अब आप क्या इसको Contradict कर रहे हैं? **...(व्यवधान)...**

प्रो. मनोज कुमार झा: महोदया, **...(व्यवधान)...**

श्री अमित शाहः मगर उन्होंने यह बोला है या नहीं बोला है? **...(व्यवधान)...** उन्होंने यह बोला है या नहीं बोला है? **...(व्यवधान)...**

उपसभाध्यक्ष (सुश्री इंदु बाला गोस्वामी): मनोज जी, प्लीज़।

श्री अमित शाहः उन्होंने यह बोला है या नहीं बोला है, आप इतना बताइए। **...(व्यवधान)...**

प्रो. मनोज कुमार झाः महोदया, **...(व्यवधान)...** Citation के Rules हैं। Citation ऐसे नहीं होता है।

श्री अमित शाहः Citation कैसे होता है, वह सिर्फ आपको मालूम नहीं है।

प्रो. मनोज कुमार झाः नहीं, सर। आपको भी मालूम होगा, लेकिन cherry picking मत करिए।

श्री अमित शाहः मनोज जी, देखिए, ऐसा है कि संभ्रांतता के साथ बोलना पड़ता है, पूरे भाषण में से एक पैराग्राफ, जिसको मैंने पढ़ा, उसको वे बोले हैं या नहीं बोले हैं? इतना ही सवाल है। लालू जी तो उस वक्त कोई बच्चे नहीं थे।**...(व्यवधान)...**

उपसभाध्यक्ष (सुश्री इंदु बाला गोस्वामी): संजय जी, कृपया आप बोलें।**...(व्यवधान)...**

श्रीमती निर्मला सीतारमणः सॉरी, एक मिनट। माननीय लीडर ऑफ दि अपोजिशन ...(**व्यवधान**)...

प्रो. मनोज कुमार झाः महोदया ...(**व्यवधान**)...

उपसभाध्यक्ष (सुश्री इंदु बाला गोस्वामी): मनोज जी, कृपया आप बैठिए। ...(**व्यवधान**)...

SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN: Hon. Member, Manoj Jha ji, has a fantastic vocal chord. I can't compete with him on that. With due respect, I would like to say that the hon. Leader of Opposition, in the morning, clearly said that all of us will have to have the patience to hear one another. And, since morning, most of us were talking to each other that the debate which is happening on the Waqf Board in Rajya Sabha is so good, is setting a beautiful precedent, content-wise, discussion-wise, the way in which we are exchanging thoughts-wise and so on. And I recall the statement which the Leader of the Opposition said, 'Let us hear people and, after that, we will protest.' All that I request hon. Manoj Jha is to please listen to Mr. Sanjay Jha. After that, you come with every objection. But, with your vocal chord power which God has given you, you are drowning all of us.

उपसभाध्यक्ष (सुश्री इंदु बाला गोस्वामी): संजय जी, कृपया आप बोलें। ...(**व्यवधान**)...

PROF. MANOJ KUMAR JHA: I should be given ...(Interruptions)...

उपसभाध्यक्ष (सुश्री इंदु बाला गोस्वामी): मनोज जी, कृपया आप बैठिए। ...(**व्यवधान**)... संजय जी, कृपया आप बोलिए। ...(**व्यवधान**)... और कुछ भी रिकॉर्ड पर नहीं जाएगा। ...(**व्यवधान**)...

श्री संजय कुमार झाः उपसभाध्यक्ष महोदया, वक्फ ट्रिब्यूनल द्वारा लिए गए फैसले पर उच्च न्यायालय में 90 दिनों के भीतर अपील दायर करने का प्रोविजन है। आज भी देश में 14 लॉ ट्रिब्युनल्स हैं। आप दिखा दीजिए कि किसी भी ट्रिब्युनल के डिसीजन की हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में अपील नहीं की जा सकती है। यह मुझे समझ में नहीं आता है कि विपक्ष के लोग जो अलोकतांत्रिक प्रोविजन था, उसको बचाने के लिए क्यों परेशान है? मैं खास करके अपनी पार्टी जनता दल यूनाइटेड और हम लोगों के नेता नीतीश कुमार जी, जिनका 19 साल का ट्रैक रिकॉर्ड है, मैं इस August House में बताना चाहता हूँ कि 19 साल में एक दिन कर्फ्यू बिहार में नहीं लगा है। यह ट्रैक रिकॉर्ड है बिहार का। बिहार में not even a day कर्फ्यू लगा है। यह ट्रैक रिकॉर्ड है वहां पर काम करने का। मैं अपनी पार्टी की तरफ से और अपने नेता की तरफ से यह कहना चाहता हूँ कि हम लोग इस बिल के समर्थन में यहाँ पर हैं, बहुत-बहुत धन्यवाद।